# राजस्थान विधान सभा

## पच्चीसवीं बैठक, दिनाङ्क ३१ मार्च, १९५३

सदन का कार्य प्रातः ८ बजकर २२ मिनट पर प्रारम्भ हुआ।

( अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी, पदासीन )

### तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८०३

श्री मोतीलाल चौधरी—Will the Minister-in-charge for Revenue be pleased to state :—

Please give the figures divisionwise and for the year 1950-51 and 1951-52 respectively :—

(*a*) What is the yearly income to the Government from revenue of land ?

(*b*) What is the total amount of rent actually realised from Kisans every year either by Government directly or by Jagirdars and any other party?

(*c*) What is the total acreage of land for which revenue or rent is realised every year from Kisans ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—

(*a*) The figures of divisionwise revenue collections are as under :—

| *Name of Division.* | 1950-51 | 1951-52 |
|---|---|---|
| Jaipur .. .. .. | 1,55,89,161/-/- | 1,33,60,612/-/- |
| Jodhpur .. .. .. | 37,08,563/-/- | 31,76,343/-/- |
| Kotah .. .. | 56,09,000/-/- | 53,00,000/-/- |
| Bikaner .. .. .. | 41,17,000/-/- | 53,41,000/-/- |
| Udaipur .. .. .. | 84,49,692/-/- | 71,76,035/-/- |

(*b*) Figures of realisation made directly by Jagirdars from Kisans are not maintained by Government.

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)]

(c) The divisionwise figures of occupied area are as under :—

| *Name of Division.* | *Acreage.* |
|---|---|
| Jaipur .. .. .. | 36,05,188. |
| Kotah .. .. .. | 56,00,000. |
| Bikaner .. .. .. | 6,73,125. |
| Jodhpur .. .. .. | The figures are still awaited. |
| Udaipur .. .. .. | 3,01,70,845. |

प्रश्न संख्या ८०४

**श्री दिलीप सिंह**— क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

दरोली, भटेवर, अमरपुरा, खरदा, घमान्या, मंडी, खेडी, तारावट आदि गांवों के नम्बरदारों (पटेल) को कितने वर्षों से उनकी तनख्वाहें नहीं चुकाई गई हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—इन गांवों में नम्बरदारों को सन् १९४९ से तनख्वाह नहीं मिली। इसका कारण यह है कि भूतपूर्व राजस्थान में नम्बरदारों को आमद से तनख्वाह मिलती थी और दूसरी यूनिटों की तरह मलवा वगैरह से पचोतरा नहीं मिलता था। संयुक्त राजस्थान बनने के बाद भारत सरकार के हिसाब के नियम लागू होने पर कोई रकम आमद रोकड़ से इस प्रकार खर्च नहीं की जा सकती इसलिए इन नम्बरदारों को तनख्वाह नहीं दी जा सकी। अब सन् १९५२-५३ के बजट में इनकी तनख्वाह के लिये प्रोविजन कर दिया गया है और अब इनकी तनख्वाहें वितरण हो रही हैं। इसी प्रकार अगले साल के बजट में भी इस विषय में प्रोविजन कर दिया गया है।

**एक सदस्य**— क्या सन् ५२-५३ के पहले की तनख्वाहें चुकाई जावेंगी?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—मैंने कहा कि चुकाई जावेंगी और उसके लिये प्रोविजन रखा गया है।

प्रश्न संख्या ८०५

**श्री तेजपाल**— क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या कृषि विभाग को सरकारी कार्य के लिये दिये गये ट्रकों या पिकअपों का प्रयोग निजी कार्य के लिये अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है ?

(ब) यदि नहीं, तो पिकअप नं० आर. जे. एल. १७३६ किसकी आज्ञा से तारीख १२-१-५३ को ग्वालियर भेजा गया?

# Page No.3



[श्री तेजपाल]

(स) यदि बिना स्वीकृति के गया तो क्या सरकार इस प्रकार अनधिकृत चेष्टा करने वालों को सजा देगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री) —**

(अ) सरकारी कार्य के लिये दिये गये ट्रकों व पिकअपों का प्रयोग निजी कार्य के लिये अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता ।

(ब) पिकअप नम्बर आर. जे. एल. १७३६ जिला कृषि अधिकारी भरतपुर के पास प्लान्ट प्रोटेक्शन कार्य के लिये है, जिनसे पूछ ताछ की जारही है ।

(स) जांच के पश्चात् अगर यह सिद्ध हो जाता है कि यह गाड़ी बिना स्वीकृति के गई है तो उपयुक्त कार्यवाही अवश्य की जावेगी ।

**श्री एच. के. व्यास**-- यह पिकअप ग्वालियर किस काम भेजा गया था?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**-- ग्वालियर में एग्रिकल्चर एग्जिबिशन देखने के लिये भेजा गया था ।

**श्री एच. के. व्यास**-- क्या सफर करना भी सरकारी काम है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**--ऐसे एग्जिबिशन को देखने के लिये जा सकते हैं ।

### प्रश्न संख्या ८०६

**श्री संतोषसिंह कछवाहा**-- क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

१. बिलाडा तहसील में कुल कितने और कहां कहां पर सिंचाई के लिये बंध हैं? इनके क्या नाम हैं ?

२. इन बंधों से कितने कितने बीघा अथवा एकड़ भूमि में सिंचाई होती है ?

३. इन बंधों से सरकार को प्रति वर्ष कितने रुपयों की आमदनी होती है और कितना खर्च होता है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री) --**

(१) बिलाड़ा तहसील में सिंचाई के लिये एक बांध है जिसका नाम जसवंत सागर है ।

(२) इस बंध से गत तीन वर्षो में सिंचाई जो हुई वह निम्नलिखित है—

| सन् | सिंचाई एकड |
|---|---|
| १९४९-५० | १०५ |
| १९५०-५१ | ११९२ |
| १९५१-५२ | १७७० |

[श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)]

(३) इस बंध से गत तीन वर्ष में जो आमदनी हुई वह निम्नलिखित है :—

| सन् | आमदनी |
|---|---|
| १९४९-५० | ५७६ |
| १९५०-५१ | ३३१४ |
| १९५१-५२ | ४९२६ |

## प्रश्न संख्या ८०७

(श्री संतोष सिंह की अनुपस्थिति में यह प्रश्न श्री खेतसिंह द्वारा श्री अध्यक्ष की आज्ञा से पूछा गया)

**श्री खेतसिंह**--क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को मालूम है कि जसवन्तसागर बन्ध की आमद की नहरें जिनसे सरकार की आमदनी होती है रुकी हुई व टूटी-फूटी हालत में कई वर्षों से पड़ी है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)**--जसवन्तसागर बन्ध की आमद की नहरें खराब व टूटी फूटी हालत में नहीं हैं। बांध के पूरा न भरने का कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी है।

## प्रश्न संख्या ८०८

**श्री गंगासिंह**--Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state :—

(*a*) Why the Panchayat Board of Village Kuchera, Tehsil Nagaur was dissolved ?

(*b*) Is it a fact that the above board was dissolved because the uncle of the then Local Self-Minister was turned out of the board ?

(*c*) Has the Government ordered for re-election of this Panchayat Board ?

(*d*) If so, when was the order for re-election passed and why the election has not yet been made ?

**श्री रामकरण जोशी**-(अ) इस पंचायत के सदस्यों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें होने से कि उनका पंचायत में रहना सार्वजनिक हित म अवांछनीय था और इस स्थिति म इस पंचायत का कार्य करते रहना उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ, अतः पंचायत भंग की गई ।

(ब) कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

(स) हां ।

[श्री रामकरण जोशी]

(ड) दिनांक १६-६-१९५२ को इस पंचायत के निर्वाचन का आदेश दे दिया गया। यह पंचायत नागौर जिले में है और इस जिले की अधिकतर ग्राम पंचायतों की कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाने से इस प्रकार की सब ही ग्राम पंचायतों के निर्वाचन शीघ्र करवाना आवश्यक हो गया। इस प्रकार की पंचायतों के निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से इस ग्राम पंचायत के निर्वाचन में विलम्ब हुआ। अब चुनाव की कार्यवाही जारी है।

प्रश्न संख्या ८०९

**श्री गंगासिंह**—Will the Minister for Local Self Government Department be pleased to state:—

(a) Why the six months' extension was given to the Municipal Board, Nagaur, when the electoral rolls of the municipal area were ready?

(b) Was the extension given on the recommendation of the Collector, Nagaur?

(c) If so, will the Minister place a copy of the same on the Table of the House?

(d) Is it a fact that the Collector, Nagaur, wrote to the Government that the election of the municipality should be held as early as possible and he also emphasised in his report that the electoral rolls etc. were ready?

**श्री रामकरण जोशी (स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री)**—(क) चूंकि नव विस्तारित क्षेत्रों के निवासियों को मतदान करने का अवसर प्रदान करने के लिये नागौर की नगरपालिका की सीमाओं को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया गया था, और चूंकि जनता की ओर से आपत्तियां आमंत्रित किये बिना ऐसा नहीं हो सकता था और उसके लिये समय की आवश्यकता थी, इसलिये नगरपालिका की अवधि को बढ़ाना पड़ा था।

(ख) नहीं।

(ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(घ) हां।

प्रश्न संख्या ८१०

**श्री तेजपाल**—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि सभा के गत अधिवेशन में और वर्तमान अधिवेशन के बीच के समय में राजस्थान में चोरी से आने वाले वेजिटेबिल (घी) तेल का आयात पहिले से बढ़ गया है?

(२) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध बेकार नहीं है?

(३) यदि हां, तो फिर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाये रखने का औचित्य क्या है?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(१) नहीं।

(२) सवाल नहीं उठता।

(३) सरकार द्वारा वेजिटेबिल घी के आयात पर लगे हुए प्रतिबन्धों के कारण राजस्थान में शुद्ध घी प्राप्य है। १-११-५२ से आखिर फरवरी सन् ५३ तक १८९ मुकद्दमे ऐसे घी के आयात के गिरफ्तार किये गये हैं और वेजिटेबिल घी के आमद की रोक के लिये कार्यवाही जाब्ता इन्हीं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत की जाती है। अतः इन को जारी रखना उचित है।

श्री तेजपाल—क्या सरकार यह बतलायगी कि भरतपुर जिले में इस प्रकार के कितने मुकद्दमे हुए और अब किस स्टेज पर हैं?

श्री भोलानाथ—बहुत से मुकद्दमे इस विषय में हुए होंगे और जो जिस स्टेज पर हैं उसकी तालिका नहीं दी जा सकती।

श्री तेजपाल—क्या यह सही है कि बहुत से मुकद्दमों को दो-दो साल हो गये हैं और अभी भी कुछ नहीं हुआ है?

श्री भोलानाथ—यह अदालत का काम है।

## प्रश्न संख्या ८११

श्री तेजपाल—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बीड़ी और सिगरेट के आयात महसूल से सरकार की इस वर्ष अब तक कितनी आय हुई है?

(२) गत वर्षों में (प्रत्येक में) यह कितनी थी?

(३) यदि कमी हुई है तो क्या इसका कारण सरकार द्वारा पहिले से टेक्स का बढ़ा देना है?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(१) इस वर्ष १-४-५२ से ३१-१२-५२ तक यानि ९ माह में बीड़ी-सिगरेट के आयात महसूल की आय १२६९८२०) रु० हुई है।

(२) गत वर्षों में पूरे सालों की आय निम्न प्रकार हुई थी:—

सन् ५०-५१ में १४६४५२७) रु०

सन् ५१-५२ में १६६००८२) रु०

(३) बीडी सिगरेट की आय में कोई कमी मौजूदा आय को देखते हुए नहीं मालूम होती है। अभी चालू वर्ष के ३ माह का हिसाब आना बाकी है।

राथ सरकार द्वारा पहले से बीड़ी सिगरेट की आयात पर कोई महसूल कर नहीं बढ़ाया गया है। राजन बनने से पूर्व किसी रियासत में कम व कहीं बेशी आयात-कर कायम था। लेकिन अधिकतर

# Page No.7



[श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)]
रियासतों में १२% अब भी कर लिया जाता था वही १२% अब भी कायम है। जनता को इससे बड़ा लाभ यह है कि राजस्थान के लाखों बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की रोजी चलती है और यहां के व्यवसाय को उत्साह मिलता है। चोरी महसूल के मुकद्दमे सतर्कता से पकड़े जाते हैं।

### प्रश्न संख्या ८१२

(यह प्रश्न श्री खेतसिंह द्वारा श्री अध्यक्ष की आज्ञा से पूछा गया)

**श्री सन्तोषसिंह**—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर में मवेशियान के मेले से सरकार को प्रति वर्ष कुल कितनी आमदनी होती है?

(२) इस मेले में बिकने वाले हर किस्म के पशु-पक्षी पर राजस्थान बनने के पहले क्या टेक्स लिया जाता था और अब क्या लिया जाता है?

(३) क्या यह टेक्स खरीद और बिक्री दोनों पर लगता है?

(४) मेले में आने वाले यात्रियों एवं उनके पशु पक्षियों की सुविधा के वास्ते सरकार क्या क्या इन्तजाम करती है और उसमें सरकार को कितने रुपये खर्च करने पड़ते हैं?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)**—नागौर मेले की आय गत वर्षों में निम्न प्रकार हुई:

| | | | |
|---|---|---|---|
| सन १९५० | १४८८७६) | सन् १९५१ | १७०८८७) |
| सन् १९५२ | १२७५५४) | सन् १९५३ | ७६२६१) |

(२) हर पशु पर निम्नलिखित प्रकार से टेक्स वसूल किया जाता था और किया जाता है:—

| नाम | राजस्थान बनने के पहिले निर्यात कर | मेला कर | राजस्थान बनने के बाद निर्यात कर | मेला कर |
|---|---|---|---|---|
| १. बैल | ७) | २) | १०) | २) |
| २. ऊंट | १२) | ३) | १२) | ३) |
| ३. ऊंटनी | १८) | ९) | २०) | ३) |
| ४. घोड़ा-घोड़ी | १२) | ४) | १०) | ३) |
| ५. भैंस | | | १०) | |
| ६. पाडा | ३। | १) | | १। |
| ७. गधा | १) | ।) | ७। | ।) |

मेले में ही क्रय तथा विक्रय करने पर:—

१. बैल २ रु.
२. ऊंट, ऊंटनी,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कृषि मंत्री)]

| | |
|---|---|
| घोडा, घोडी | ३ रु. |
| ३. भैंस | १ रु. |
| ४. गधा | ४ आना |

(३) यह टैक्स खरीद और बिक्री दोनों पर नहीं लगता। सिर्फ एक समय देना पड़ता है।

(४) मेले में आने वाले पशु तथा मनुष्यों के लिये सरकार निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करती है :—

१. स्वच्छ तथा निर्मल जल का प्रबन्ध।
२. पुलिस विभाग द्वारा रक्षा कार्य का समुचित प्रबन्ध।
३. जन समूह तथा पशुओं के निःशुल्क चिकित्सालय।
४. रात्रि को रोशनी का प्रबन्ध।
५. कोष की स्थापना जहां कि बडे नोट निःशुल्क छोटे नोट तथा मुद्राओं में परिणत किये जाते हैं।
६. पोस्टऑफिस की स्थापना;
७. विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियों का आयोजन इत्यादि।

इस कार्य में इस विभाग की ओर से १५,०००) रु० से २०,०००) रु० खर्च किये जाते हैं। दूसरे विभागों द्वारा भी उनका यात्रा-व्यय खर्च किया जाता है।

**श्री सोहनलाल मटनागर**—क्या गधों पर निर्यात कर बढ़ाने से राजस्थान में गधे बढ़े हैं?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—इसका, वे फैले हुए हैं, उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं।

**श्री गंगासिंह**—पानी की कमी के कारण मेले के समय जो वहां असुविधायें हो रही हैं क्या सरकार उन असुविधाओं को दूर करने के विषय में सोच रही है?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है और हाउस में आगे भी इस तरह का प्रश्न आने वाला है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान बनने के बाद गधों की इम्पोटेंस इतनी क्यों बढ़ती जा रही है?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—इम्पोर्टेंस तो नहीं बढ़ रही है।

**श्री अध्यक्ष**—Order! Next.

## प्रश्न संख्या ८१३

(श्री संतोषसिंह कछवाहा की अनुपस्थिति में श्री खेतसिंह ने यह प्रश्न पूछा)

**श्री संतोषसिंह**—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि नागौर में कई वर्षों से और इस वर्ष भी पीने के पानी की सख्त तकलीफ हो रही है ?

(२) क्या सरकार यहां के रहने वालों के वास्ते (समय से पहले) पीने के पानी का कोई मुस्तकिल इन्तजाम करने के वास्ते सोच रही है ? अगर हां, तो क्या और नहीं तो, क्यों नहीं ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—(१) हां मालूम है। वर्षा के अभाव से नागौर में जल का कष्ट गत दो-तीन वर्षों से बराबर बना आरहा है ।

(२) नागौर की जनता का जल-कष्ट-निवारण का मसला इस विभाग से संबंधित नहीं है ।

## प्रश्न संख्या ८१४

(श्री संतोषसिंह की अनुपस्थिती के कारण श्री खेतसिंह ने यह प्रश्न पूछा)

**श्री संतोषसिंह**--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर मेला मवेशियान में आयोजित पशु प्रतियोगिता में किन किन पशुओं को लिया गया है ?

(२) इनके लिये कितने कितने रुपयों का पारितोषिक रखा हुआ है ? पशु-पालिकों के श्रम का अथवा मेले की आमदनी का ध्यान रखते हुए क्या सरकार इन पारितोषिकों को कम नहीं समझती ?

(३) अगर कम समझती है तो क्या इनको बढ़ाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

(४) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—पशु प्रतियोगिता में निम्न प्रकार के पशुओं को लिया जाता है। और जो पारितोषिक हरेक के लिये रक्खा गया है उसका ब्योरा भी नीचे दिया जाता है।

| किस्म पशु | प्रथम | द्वितीय | तृतीय |
|---|---|---|---|
| सांड | ५० रु. | ३० रु. | २० रु. |
| गाय | ३० रु. | २० रु. | १५ रु. |
| बैल | | | |
| ६. ८ दांत | २५ रु. | १५ रु. | १० रु. |
| ४. ६ दांत | २५ रु. | १५ रु. | १० रु. |
| २. ४ दांत | २५ रु. | १५ रु. | १० रु. |

[श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)]

| किस्म पशु | प्रथम | द्वितीय | तृतीय |
|---|---|---|---|
| ऊंट | | | |
| सवारी के ऊंट | २५ रु. | १५ रु. | १० रु. |
| लद्दू ऊंट | २५ रु. | १५ रु. | १० रु. |
| घोडा ४॥ से १२ साल | २५ रु. | १५ रु. | १० रु. |
| ब्याने वाली घोडी ४॥ से १२ साल | २५ रु. | १५ रु. | १० रु. |
| बछेरे, वछेरियां | १५ रु. | १० रु. | ५ रु. |
| मेंढा, भेड़, बकरा, बकरी | १० रु. | ७ रु. | ५ रु. |

सुविधानुसार पारितोषिक की रकम में हेर फेर किया जाता है।

### प्रश्न संख्या ८१५

**श्री दिलीपसिंह** (डिवीजन नंबर ३९)—Will the Minister for Revenue Department be pleased to state —

(*a*) How much land has been given to the persons of Scheduled caste other than the Chamarias in the Changeri Beer of Mawli Tehsil ?

(*b*) How many are they in number ?

(*c*) Is it a fact that the land so given was never cultivated by them ?

(*d*) How many of the Chamarias who have been allotted land has already sufficient land to cultivate ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—यह प्रश्न कोओपरेटिव विभाग से संबन्ध रखता है, अतः इसका उत्तर वहां से आने पर ही संबन्धित मंत्री द्वारा दिया जायगा।

### प्रश्न संख्या ८१६

(श्री संतोषसिंह की अनुपस्थिति म श्री खेतसिंह द्वारा यह प्रश्न पूछा गया)

**श्री सन्तोषसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बिलाडा तहसील म कुल मिला कर कितनी ग्राम पंचायतें बनाई जावेंगी और उनके केन्द्र कौन कौन से ग्रामों में होंगे ?

(२) पुरानी ग्राम पंचायतें कब से, कौन कौन से ग्रामों म हैं और उनका दूसरा दुबारा चुनाव कौन कौन सी तारीख को होगा ?

(३) अब नई ग्राम पंचायतें कब स्थापित की जावेंगी ? उनके चुनाव की तारीख क्षेत्रफल व जनसंख्या पृथक पृथक बताने की कृपा करें ?

# Page No.11



**श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—(१) बिलाड़ा तहसील में आयन्दा पंचायतें बनाने की रूप रेखा पूरी नहीं बनी है और जांच हो रही है इसलिये इस समय आयन्दा बनने वाली पंचायतों के केन्द्र व ग्राम बताने में मजबूरी है ।

(२) बिलाडा तहसील में निम्न पचायतें अभी काम कर रही हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| (१) खेजडला | (२) बिलाडा | (३) मालकाणी |
| (४) बाला | (५) भावी | (६) खारिया मीठापुर |
| (७) पिचियाक | (८) उदलियावास | (९) खांमटा |
| (१०) रीयां | (११) साथीण | (१२) कोसाणा |
| (१३) रणसीगांव | (१४) सालवाखुर्द | (१५) माडतर |
| (१६) रजलानी | (१७) रतकुडिया | (१८) बरल भोपालगढ़ |
| (१९) हरियाढाना | (२०) बरूदा | (२१) जावा क्वासपुरा |
| (२२) पीपाड़ | (२३) बिरावास | (२४) लाम्बा |
| (२५) जवास्या | (२६) कापरडा | (२७) सिजारी |
| (२८) ओलवी | (२९) रामड़ाल | (३०) बोयल |
| (३१) बुचनकलां | (३२) पेनण | ३३ गावर |
| (३४) कुंड | (३५) मादनिया | |

नये चुनाव नये विधान के पास होने के बाद छः माह के अन्दर अन्दर हो जायेंगे ।

(३) इसका उत्तर संख्या २ में आ गया है ।

**श्री कानसिंह**—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर पंचायतों के चुनाव नया एक्ट पास होने के बाद होंगे तो पुराने एक्ट के मातहत इस वक्त चुनाव जारी क्यों कि जा रहे हैं

**श्री रामकरण जोशी**—कुछ बंद किये, कुछ हो रहे हैं ।

प्रश्न संख्या ८१७

**श्री मोटाराम**—क्या मंत्री, सार्वजनिक विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:—क्या बालोतरा से खांडप होती हुई फालना को मिलाने वाली सड़क की कोई योजना सरकार के ध्यान में है ?

**श्री भोलानाथ**—बालोतरा से खांडप होती हुई फालना को मिलाने वाली सड़क के लिए इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

## प्रश्न संख्या ८१८

**श्री कंवरलाल जेंजिया**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कोटा डिविजन के गत वर्ष (सन् ५१-५२) कमी वाले घोषित इलाके में रबी व खरीफ की फसल न होने से लगान में छूट दी गई है?

(२) कोटा डिविजन में लगान में छूट किन किन तहसीलों में कितनी कितनी दी गई? यह किन नियमों के आधार पर दी गई है? कुल मिला कर डिविजन भर में कितनी दी गई व हर जिले में कितनी ?

(३) गत वर्ष (५१-५२) में राजस्थान में कमी वाले इलाके में लगान छूट में कितनी रकम दी गई है, किन किन डिविजनों में दी गई?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**— (१) हां।

(२) कोटा डिविजन में कुल १२,४७,९५५, रुपये की छूट दी गई। जिलेवार आंकड़े इस प्रकार हैं:—

| | |
|---|---|
| कोटा | १०,५९,६९४ |
| बूंदी | ६१,८६१ |
| झालावाड | १,२६,४४१ |

तहसीलवार छूट का नक्शा सदन की मेज पर रखा है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(३) इसके आंकड़े इस प्रकार हैं:—

| | छूट | थाम |
|---|---|---|
| (१) बीकानेर डिविजन | — | ८,७०,००० |
| (२) जयपुर डिविजन | ६,४२,८६६ | .. |
| (३) जोधपुर डिविजन | .. | .. |
| (४) कोटा | १२,४७,९५५ | .. |
| (५) उदयपुर | १९,९२,८१६ | .. |

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—यह छूट किस आधार पर दी गई?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—नियमानुसार।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार गंगानगर के नहरी इलाके में भी, जहां पैदायश नहीं हुई है, वहां भी छूट देगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—कहत की वजह से नहीं।

# Page No.13



**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार नहरी इलाकों में जो बरानी इलाके आये हुए हैं वहां भी छूट देगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—अकाल की वजह से नहीं, पर बरानी सस्पेन्शन दिया गया है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—मेरा प्रश्न यह है कि नहरी इलाके में बारानी जमीन है उसको छूट नहीं दी गई है क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—इसके अलग नियम बने हुए हैं। इसलिये कहत अनुसार छूट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री तेजमल बापना**—क्या सरकार को यह मालूम है कि किन्ही तहसीलों में यह ऑर्डर लागू होने के बाद भी लगान वसूल किया गया है।

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—सूचना नहीं।

**श्री रघुराजसिंह**—Was this remission or suspension ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—Remission.

**श्री देवीसिंह**—कहां कहां किस आधार पर छूट दी जाती है ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—वर्षा के अभाव में पैदावार पूरी नहीं होने वाले इलाकों में अकाल के असर के अनुसार छूट दी जा सकती है और दूसरी जगह नहीं।

**प्रश्न संख्या ८१६**

**श्री केसरीसिंह कापरेन**—Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(*a*) What is the least period that should lapse ordinarily between two transfers at one place ?

(*b*) At Patan Tehsil in District Bundi within last three years how many transfers of Tehsildars have taken place ?

(*c*) How much money the Government had to spend on the transfers as T. A. and D. A. ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—

(*a*) There are no hard and fast rules in the matter of transfers which are done according to exigencies of service.

(*b*) From April, 1950 to date, 5 Tehsildars have worked at Patan.

(*c*) Figures regarding money spent on travelling allowances are not readily available.

प्रश्न संख्या ८२०

**श्री दिलीपसिंह ( वि० सं० ३१ )**—Will the Minister-in-charge Revenue Department be pleased to state :—

(*a*) Is it a fact that Ladhana Beer (Mawli Tehsil) is also going to be allotted to a particular caste of Scheduled castes ?

(*b*) If so, why ?

**श्री मोहनलाल सुखिडया (राजस्व मंत्री)**—(*a*) No.

(*b*) Does not arise.

**श्री अध्यक्ष**—Next.

प्रश्न संख्या ८२१

**श्री तेजमल**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तारीख १५-१-५३ को जो भरतपुर में टाउन म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुये हैं उनमें रद्द हुये मतदान पत्रों की कितनी संख्या बिना निशान अथवा गलत निशान के कारण है ?

**श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—(१) रद्द हुए मतदान पत्रों की कुल संख्या १९२९ है। बिना निशान या गलत निशान के रद्द होने वाले मतदान पत्रों की पृथक पृथक संख्या नहीं जानी जा सकती, इसका कारण यह है कि मतदान पत्र मुहर बन्द हैं और वे नियमानुसार चुनाव अदालत की आज्ञा बिना नहीं खोले जा सकते ।

प्रश्न संख्या ८२२

**श्री प्रभुदयाल**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) पॉवर हाउस बीकानेर में मर्जर होने से पहले कितने इंजीनियर थे और किस किस काम पर किस किस इंजीनियर की ड्यूटी थी ?

(२) कितने मिस्त्री और सुपरवाइजर और कितने मजदूर थे ?

(३) मर्जर से पहले पॉवर हाउस घाटे में चलता था या फायदे में और कितना ?

(४) अब कितने इंजीनियर हैं, कितने मिस्त्री, सुपरवाईजर और मजदूर हैं ? कौन इंजीनियर किस किस जगह काम करते हैं ?

(५) ज्यादा इंजीनियर बढ़ाने और मजदूरों को घटाने से सरकार को कितनी ज्यादा आमदनी होने लगी है ?

(६) क्या बीकानेर पॉवर हाउस से अच्छे अच्छे इंजीनियरों को जयपुर भेजा गया और नये नये इंजीनियर वहां रखे गये हैं ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(१) बीकानेर पॉवर हाउस में विलीनीकरण से पहले १५ इंजीनियर थे। उनके नाम तथा प्रत्येक की ड्यूटी सूचि 'अ' में दी हुई है जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(२) विलीनीकरण से पूर्व लगभग ५१९ स्थायी तथा ७२२ वर्कचार्जड टेकनिकल कमचारी थे। मिस्त्री व सुपरवाइजरों की संख्या लगभग ३३ थी।

(३) विलीनीकरण से पूर्व भी बीकानेर पॉवर हाउस घाटे में चल रहा था। सन् ४८-४९ से लगभग ७ लाख रुपये का घाटा था।

(४) बीकानेर पॉवर हाउस में अब केवल ११ इंजीनियर, २६ मिस्त्री व सुपरवाइजर व लगभग ११०० टेक्निकल कर्मचारी हैं। वर्तमान इंजीनियर्स के नाम व उनकी ड्यूटी उपरोक्त सूचि 'अ' में दी हुई है।

(५) यह प्रश्न नहीं उठता।

(६) यह सही है। राजस्थान को एक ईकाई मानकर जो व्यक्ति जिस कार्य के लिये अधिक उपयुक्त होता है वहीं भेज दिया जाता है चाहे वह कार्य किसी भी सरकारी पॉवर हाउस में चल रहा हो।

श्री जसवन्तसिंह—क्या मंत्रीजी कृपा करके यह बतायेंगे कि एकीकरण से पूर्व वे इंजीनियर्स जो सबसे बड़े हैं और जिनको बीकानेर रियासत ने ऐसिस्टेन्ट इंजीनियर्स के पद के योग्य भी नहीं समझा था उनको राजस्थान में चीफ इंजीनियर के पद पर क्यों नियुक्त किया गया? क्या ऐसा करने से बिजली घर का काम सुचारु रूप से चल रहा है जबकि जिनकी योग्यता एसिस्टेन्ट इंजीनियर के पद के लिये भी उपयुक्त नहीं समझी गई थी वे आज हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट बने हुए हैं?

श्री भोलानाथ—आपने यह जनरल बात कही है। यदि आप इस तरह का अलग सवाल पूछते तो जांच करके आपको उत्तर देता। इंजीनियर्स का सिलेक्शन, सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया गया है जिसमें गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी शामिल थे और इस तरह से जो सिलेक्शन किया गया है उसके बारे में विशेष नहीं कहा जा सकता।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार के ध्यान में यह है कि बीकानेर रियासत के समय जो इंजीनियर एसिस्टेन्ट इंजीनियर के पद के लायक नहीं समझे जाते थे वे आज यहां हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं।

श्री भोलानाथ—सिलेक्शन बोर्ड ने टेक्निकल एक्सपर्टस की राय से इंजीनियर छांटे हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि बीकानेर पॉवर हाउस की हालत आज पहले से अच्छी है।

श्री जसवन्तसिंह—मैं यह मंजूर करने को तैयार नहीं हूं कि बीकानेर पॉवर हाउस की हालत पहले से अच्छी है। हालत अच्छी होने का नमूना तो आपके सामने ही है, जब कि जिनको बीकानेर रियासत ने असिस्टेन्ट इंजीनियर के काबिल नहीं समझा था वे आज आपके यहां हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पॉवर हाउस का खर्चा बीकानेर रियासत के समय ज्यादा था या अब ज्यादा है ?

श्री भोलानाथ—पहले खर्चा ज्यादा था ।

श्री चन्दनमलवैद्य—व्यवस्था पहले अच्छी थी या अब अच्छी है ?

श्री भोलानाथ—व्यवस्था अब अच्छी है ।

श्री प्रभूदयाल—जब कि बीकानेर पॉवर हाउस में घाटा है तो इंजीनियरों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है ?

श्री भोलानाथ—संख्या बढाई नहीं, घटाई जा रही है । अब केवल चार ही रह गये हैं ।

### प्रश्न संख्या ८२३

श्री केसरीसिंह कापरेन—Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) How much seed for Rabi crop and how much for Kharif has been distributed in District Bundi and how much in each of five Tehsils ?

(b) In which month the seed was distributed ?

(c) At what rate per maund was it distributed ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री) A. In Bundi District 226 maunds of seeds were distributed during Rabi Crop and 700 maunds were distributed during Kharif.

Tehsilwise details are as below:—

| | *Name of the Tehsil.* | *Kharif.* Mds. | S. | Ch. | *Rabi.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bundi .. .. .. | 250 | 11 | 4 | Total 226 Maunds. |
| 2. | Talera .. .. .. | 178 | 11 | 4 | Tehsilwise figures not |
| 3. | Hindoli .. .. .. | 261 | 8 | 12 | available. |
| 4. | Nainwa .. .. .. | 41 | 23 | 12 | |
| 5. | Panchwa Patan .. .. | Nil. | | | |

B. Seeds for Kharif Crop are distributed in the month of June while that of Rabi during the month of October and November.

C. The following are the rates per Maund of the Seeds.

1. Maize and Juwar at Rs.13/5/4
2. Wheat 18/4/6
3. Barley 17/-/-

श्री केसरीसिंह—क्या ये बीज सरकार द्वारा दिये गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जो बीज सरकार द्वारा दिये गये थे उन्हीं की तो बात है।

श्री केसरीसिंह—क्या सरकार यह जांच करने को तैयार है कि वहां बीज बिल्कुल नहीं पहुंचा; पाटण में बीज का एक दाना भी नहीं पहुंचा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पाटण के लिये तो मैंने अपने उत्तर में भी कहा है कि वहां बीज नहीं भेजा गया।

श्री केसरीसिंह—क्या कारण है कि पाटण में बीज नहीं दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—शायद पाटणवालों के पास बीज काफी होगा इसलिये नहीं मांगा होगा; अतः वहां नहीं भेजा गया होगा।

श्री केसरीसिंह—पाटण का इलाका राजस्थान की ग्रेनरी है। वहां के लोगों ने बीज की काफी मांग की थी फिर भी क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हो सकता है कि ग्रेनरी होने के कारण लोगों के पास बीज मौजूद हों और इसलिये उन्होंने न मांगा हो।

श्री गुरुदयाल सन्धु—क्या इस इलाके में कोटन की खेती होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कोटन की खेती बहुत भागों में होती है।

श्री केसरीसिंह—पाटण के लोग तहसीलदार के पास बीज लेने के लिये गये पर उनके पास बीज नहीं था और लोगों को बीज नहीं मिला। तहसीलदार के पास बीज क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री गुरुदयाल सन्धु—क्या सरकार 'ग्रो मोर कोटन' का प्रयत्न करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सरकार 'ग्रो मोर कोटन' का प्रयत्न कर रही है।

### प्रश्न संख्या ८२४

श्री केसरीसिंह कापरेन—Will the Minister for Revenue be pleased to state:—

(*a*) What is the total amount of land revenue due in Bundi District for the years 1951-52 and 1952-53 ?

(*b*) Out of the total revenue how much is due from Khalsa and how much from Jagir Tehsilwise ?

(*c*) How much revenue has been collected from Khalsa area and how much from Jagir area till now ?

# Page No.18



[श्री केसरीसिंह कापरेन]

(*d*) What is the due in each Tehsil from Khalsa and Jagir areas ?

(*e*) Reason for these dues, if any, may also be stated.

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**— (राजस्व मंत्री) (*a*) *to* (*d*) A statement giving the required information is placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(*e*) The reason for the outstanding dues is that there was damage to crop in Samvat 2008 and hence recovery had to be suspended.

**प्रश्न संख्या ८२५**

**श्री भगवानसिंह तरंगी**—क्या सिंचाई विभाग के मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ जिले में सिंचाई बढ़ाने के लिये कितना रुपया स्वीकृत किया गया है ?

(२) क्या उक्त जिले में कुओं को गहरा करने के लिये बोरिंग मशीन भिजवाने की सरकार व्यवस्था कर रही है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—(१) अभी कुछ भी रुपया स्वीकृत नहीं किया गया है।

(२) बोरिंग मशीनों की कमी की वजह से प्रत्येक जिले में मशीनें नहीं भेजी जाती हैं। नई मशीनें खरीदी जा रही हैं और उनके आने पर झालावाड़ जिले में मशीन भेज दी जायगी।

**प्रश्न संख्या ८२६**

**श्री धर्मपाल**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में म्युनिसिपल बोर्ड के हरिजन कर्मचारियों (महिला, भैंसे-गाडीवाले आदि) के वेतन का कोई ग्रेड है ? यदि है, तो क्या ग्रेड है और क्या वह सारे राजस्थान में समान रूप से लागू है ?

(२) कृपया पुरुष, महिला और भैंसे-गाडीवाले का अलग अलग ग्रेड बतलाने का कष्ट करेंगे ?

(३) वेतन के अतिरिक्त औजार युनिफोर्म आदि भी सारे राजस्थान में एकसी मिलती हैं ?

(४) महिला कर्मचारिणी को प्रसूतिकाल में मय वेतन कितने दिनों का अवकाश मिलता है ?

(५) पुरुष कर्मचारियों को साल में मय वेतन कितने दिनों का अवकाश मिलता है ?

(६) सप्ताह में अन्य कर्मचारियों की भांति क्या इन लोगों को भी किसी दिन छुट्टी मिलती है ?

[श्री धर्मपाल]

(७) अवकाशकाल में जीवन निर्वाह के लिए प्राविडेंट फंड काटना क्या सरकार जरूरी समझती है ? यदि हां, तो क्या कदम उठा रही है ?

**श्री रामकरण जोशी**—(१) राजस्थान में म्युनिसिपल बोर्डों के हरिजन कर्मचारियों के वेतन का स्तर समान नहीं है। स्थानीय अवस्थाओं के कारण अलग अलग है।

(२) प्रश्न १ के उत्तर में सन्निहित है।

(३) प्रश्न १ के उत्तर म सन्निहित है।

(४) महिला कर्मचारियों को प्रसूतिकाल में अवकाश आर. एस. आर. की धारा १०३ व १०४ के अन्तर्गत म्युनिसिपल बोर्ड को देने का अधिकार दिया जा चुका है।

(५) पुरुष कर्मचारियों को साल भर में मय वेतन छुट्टी देने की व्यवस्था प्रत्येक बोर्ड में भिन्न भिन्न है।

(६) सरकार विचार कर रही है।

(७) पी. एफ. की व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है।

**श्री धर्मपाल**—क्या सरकार एक ही तरह के नियम, वेतन आदि के सारी म्युनिसिपेलिटीज् के लिये करने को तैयार है ?

**श्री रामकरण जोशी**—जी नहीं।

**श्री प्रभुदयाल**—क्या भिन्न २ जगहों पर अलग अलग तनख्वाहें मिलती हैं ?

**श्री रामकरण जोशी**—जी हां।

**श्री प्रभुदयाल**—इसका क्या कारण है।

**श्री रामकरण जोशी**—अलग अलग म्युनिसिपेलिटीज् की आर्थिक स्थिति भिन्न भिन्न तरह की इसलिये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की तनख्वाहें मिलती हैं।

## प्रश्न संख्या ८२७

**श्री तेजपाल**—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) कस्टम विभाग (राजस्थान) में नाकेदारान, मोहर्रिर, आदि के इन्टरव्यू हुए कितना समय होगया है ?

(आ) उनके परिणाम अभी घोषित किए गए या नहीं ?

(इ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

**श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)**—(अ) राजस्थान में नाकेदारान, मोहर्रिरान की, जिनकी संख्या लगभग २५०० है, इन्टरव्यू दिसम्बर सन् १९५२ में समाप्त हुई।

(आ) इनके परिणाम १२-३-५३ को घोषित किए जा चुके हैं।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

## प्रश्न संख्या ८२८—(१४१/आर. एम.)

**श्री मनफूलसिंह**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या रेवेन्यू बोर्ड का हेड ऑफिस जयपुर में है?

(२) जोधपुर डिविजन के रेवेन्यू बोर्ड के केसेज जोधपुर में जाकर क्यों सुने जाते हैं?

(३) क्या कारण है कि बीकानेर के केसेज जयपुर में सुने जाते हैं?

(४) बीकानेर के केसेज सबसे अधिक होने पर भी बीकानेर में क्यों नहीं सुने जा सकते?

(५) भविष्य में बीकानेर में सुने जावेंगे, ऐसी आशा जारी की जा सकती है या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—(१) हां।

(२,३ तथा ४) बीकानेर और जोधपुर दोनों जगह रेवेन्यू बोर्ड के डिविजन बेन्च हैं लेकिन पिछले दिनों बोर्ड का मेम्बर कम होने की वजह से बीकानेर के केसेज नहीं सुने जा सके।

(५) बोर्ड का अब एक मेम्बर और बढ़ा दिया गया है और इसलिए आशा है कि जल्दी ही बीकानेर डिविजन बेन्च के केसेज वहीं सुने जावेंगे।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

## प्रश्न संख्या ८२९—(१४२/आर. एम.)

**श्री मनफूलसिंह**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सरकार के ध्यान में है कि गंगानगर जिले में लगभग ३५ लाख बीघा जमीन आराजी मकबूजा राज पडी है जो वर्ष या दो वर्ष के लिए तकसीम की जाती है?

२. क्या यह भी सरकार विचार रखती है कि बिना भूमि वाले किसानों तथा थोडी भूमि वाले किसानों को हमेशा के लिए यह भूमि दे दी जावे?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—(१) हां, जिला गंगानगर में अभी तक आराजी काश्त की भूमि ज्यादा से ज्यादा तीन वर्ष के अर्से के लिए तकसीम की जाती है।

(२) हां। सरकार का विचार इस खाली भूमि को भूमि-हीन काश्तकारों को तकसीम करने का है और यह योजना जिला गंगानगर की नहरी तहसीलों में लागू कर दी गई है। आशा है कि

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]
गंगानगर जिले के भारत प्रोजेक्ट के इलाके को छोड़कर बाकी बारानी रकबे में यह योजना शीघ्र ही लागू करदी जायगी ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या माननीय मंत्री महोदय के यह बात ध्यान में है कि जो जमीन दी जाती है वह सितम्बर और अक्टूबर में दी जाती है ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—वक्त वक्त पर दी जाती रही है। अबकी बार वैसी बात नहीं होने वाली है ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या रायसिहनगर में पिछले साल करीब १ लाख २५ हजार बीघा जमीन पड़ी रही ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**— जी हां ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार यह बतायगी कि उस जमीन को देने वाले नहीं थे ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—जिन जिन की दरख्वास्तें आई थीं उनको अलॉट कर दी गई थीं ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या बाकी बची हुई दरख्वास्तों वालों को जमीन एलॉट नहीं की गई थी ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है । नोटिस आने पर मैं फिर बता सकता हूं ।

**श्री गुरुदयालसिंह**—क्या माननीय मंत्रीजी यह जानते हैं कि २५ हजार बीघा जमीन एलॉट की जा सकती थी किन्तु नहीं की गई ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

## प्रश्न संख्या ८३०

**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या दलित वर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सन् ५२-५३ में राजस्थान सरकार के बजट की रकम में से अनुसूचित जन जाति के सुरक्षित क्षेत्र में कल्याण कार्य में कोई रकम खर्च हुई है ? यदि हुई है, तो कितनी ?

# Page No.22



[श्री कंवरलाल जेलिया]

(२) क्या सरकार इस रकम को जन जाति सुरक्षित के अलावा राजस्थान में अन्य डिविजनों के जनजातियों के कल्याणकारी कार्य में खर्च करने का विचार करेगी जब कि जाति सुरक्षित क्षेत्र में भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है ?

**श्री भोगीलाल पंडया (दलित वर्ग उत्थान मंत्री)**—१. सन् १९५२-५३ में राजस्थान सरकार के बजट से जन-जाति के सुरक्षित क्षेत्र में कल्याण कार्य में १,८३,९३०) रुपये स्टेट फंड से खर्च हुये।

२. सरकार जन-जाति सुरक्षित क्षेत्र के अलावा राजस्थान के अन्य डिविजनों में जन-जातियों के कल्याण कार्य में राजस्थान स्टेट के बजट से २,३८,६००) रुपये पहिले से ही व्यय कर रही है। अतः यह प्रश्न ही खडा नहीं होता।

३. अनुसूचित (शिड्यूल्ड कास्ट) जाति के उत्थान कार्य में सरकार को सहयोग देने के लिये परामर्श दात्री समिति के निर्माण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव अभी तक पेश नहीं किया गया है ऐसे किसी प्रस्ताव के पेश किये जाने पर राजस्थान सरकार इस पर विचार करेगी।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट

## प्रश्न संख्या ८३१

**श्री रघुराजसिंह**—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state:—

(*a*) Why fresh elections of village Panchayats have not been held in Kishanganj and Shahabad Tehsils in Kotah District uptil now though the terms of the present Panchayats have been over long ago ?

(*b*) Will the Government take steps to hold new elections immediately ?

(*c*) Has any disciplinary action been taken against the Divisional Panchayat Officer, Kotah, who may be responsible for the delay ?

(*d*) If not, why ?

**श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—(अ) कोटा डिविजन में सब पंचायतों के चुनाव की अवधि समाप्त होने के करीब आगई जिससे बड़ी तेजी से चुनाव का कार्य करते हुए भी शाहबाद और किशनगंज तहसीलों की कुछ पंचायतों के चुनाव में विलम्ब हुआ। फिर भी कार्य-आरम्भ के दिनांक से अवधि समाप्त नहीं हुई और कुछ पंचायतों का तो चुनाव हो चुका और कुछ का शीघ्र ही होने वाला है।

Page No.23



[श्री रामकर जोशी स्वायत्त शासन मन्त्री]

(ब) चुनाव की कार्यवाही तेजी से जारी है और शीघ्र ही सब चुनाव समाप्त हो जावेंगे।

(स) अ के उत्तर से ज्ञात होगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(ड) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

## प्रश्न संख्या ८३२

**श्री मनफूलसिंह**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर डिविजन के बारानी इलाके (बीकानेर, चूरू और गंगानगर) में खालसा गांवों में जहां पहले बिना मंजूरी चार साला जमीन काश्त करने पर सिर्फ एक साल के लिये फी बीघा १ पैसा तावान लगता था, वहां लगान का चौगुना तावान क्यों लिया गया है?

(२) यह तावान वृद्धि किस नोटिफिकेशन द्वारा की गई है?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—चूंकि बहुत से जमींदार तावान की कम दर को देखते हुए जमीन पर नाजायज कब्जा करने के आदि हो गये थे इसलिये तावान की दर को बढ़ाना जरूरी हो गया था।

सरकार ने इस विषय में दुबारा छानबीन के बाद तावान की इस दर में अदल बदल कर दिया है और अब बीकानेर डिविजन के चूरू और बीकानेर जिलों में पहले के तावान का चार गुना यानि १ आना प्रति बीघा वसूल किया जायगा। चूंकि जिला गंगानगर के बारानी इलाके में जमीन की मांग बहुत ज्यादा है इसलिये तावान की वही दर अथवा रकम का चार गुनी कायम रखी गई है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार ऐसी कोशिश करेगी नाजायज तौर पर कोई दूसरे लोग कब्जा न कर सकें?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—सरकार ने कोशिश की है और आगे भी करेगी।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार दरों को बढ़ाने के लिए तैयार है?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—अगर इन प्रयत्नों से बढ़ती रहे तो ठीक है अन्यथा दूसरी कार्यवाही करना भी मुमकिन हो सकता है।

**श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु**—कितनी जेनाक्तगियों के केसेज हुए हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय बता सकते हैं?

# Page No.24



**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या ऐसी जमीनें भी हैं जो लोगों ने नाजायज तौर पर कब्जे में कर रखी हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—मैं समझता हूं कि मूल प्रश्न तावान का है। जमीनें कितनी कब्जे में कर ली हैं; यह दूसरा प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

**प्रश्न संख्या ८३३**

**श्री मनफूलसिंह**— क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सन् १९५२ में सूरतगढ़, नोहर और भादरा तीनों तहसीलों में बड़ा भारी अकाल पड़ने की वजह से कमी का इलाका घोषित किया था ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—हां।

**श्री मनफूलसिंह**—क्या सरकार के ध्यान में है कि गत वर्ष लगान माफ कर दिया गया था ? क्या पटवारियों को हिदायतें भेजी गई थीं ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—अलग अलग तहसीलों के लिए अलग अलग निर्णय किए जाते हैं। नोटिस देने पर जानकारी दी जा सकती है।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

**प्रश्न संख्या ८३४**

**श्री कुंवरलाल जेलिया**—क्या दलितवर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) राजस्थान में अनुसूचित जातियों व जन जातियों की जनसंख्या सन् ५१ की मर्दुमशुमारी के आधार पर कितनी है ?

(२) वह डिवीजन व जिले वार कितनी कितनी है ?

**श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)**—(सूचना बाद में प्राप्त हुई)

ब्योरा इस प्रकार है—

[श्री भोगीलाल पंडया (रसद मंत्री)]

**प्रश्न नम्बर १०७ का उत्तर**

अनुसार सूचना जन संख्या विभाग उदयपुर के अनुसूचित जातियों व जन जातियों की जन संख्या १८२५३०७ है।

## जिलेवार सूचना शिड्यूल्ड कास्ट

| जिला | जन संख्या | नाम जिला | जन संख्या |
|---|---|---|---|
| १ जयपुर | १६६५०४ | १५ नागोर | ३३६७८ |
| २ टोंक | ६६४७६ | १६ जसलमेर | ४३५१ |
| ३ सवाई माधोपुर | १२८५३७ | १७ उदयपुर | ४६१८१ |
| ४ भरतपुर | ११६३६१ | १८ डूंगरपुर | ६३१७ |
| ५ अलवर | २२०२१७ | १९ बांसवाडा | ६१२८ |
| ६ झुन्झुनू | ७०४३५ | २० पाली | २४६२६ |
| ७ सीकर | ६५४०७ | २१ सिरोही | ५३४५२ |
| ८ भीलवाडा | ६१३६३ | २२ चित्तोडगढ़ | ४९१४३ |
| ९ बीकानेर | ४१९१३ | २३ कोटा | ११२३३३ |
| १० चूरू | ६२६८६ | २४ बूंदी | ३२१८० |
| ११ गंगानगर | ७९१६९ | २५ झालावाड | ४६६८६ |
| १२ जोधपुर | १९३८६ | | |
| १३ बाडमेर | १०३७५ | योग | १६०८९५९ |
| १४ जालोर | १७२४०६ | | |

## जिलेवार सूचना शिड्यूल्ड ट्राइब्स

| नाम जिला | जन संख्या | नाम जिला | जन संख्या |
|---|---|---|---|
| १ डूंगरपुर | ९४०३१ | २ चित्तौड़ | ६६९३ |
| ३ बांसवाडा | २१५६२४ | | |
| | | योग | ३१६३४८ |

## डिविजन वाइज सूचना शिड्यूल्ड कास्ट

| नाम डिविजन | जन संख्या | नाम डिविजन | जन संख्या |
|---|---|---|---|
| जयपुर | ८७४९२८ | जोधपुर | १५३१०२ |
| उदयपुर | १७५९६२ | कोटा | १९१९९९ |
| बीकानेर | २१३७९८ | | |
| | | योग | १६०८९५९ |

## डिविजन वाइज सूचना शिड्यूल्ड ट्राइब्स

उदयपुर ३१६३४८

श्री कंवरलाल जेतलिया—डिविजन वाइज संख्या बतलाई जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—मैंने कहा था कि सूची प्राप्त की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ८३५ (१४८/आर.एम.)

श्री हनवन्तसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या जिला जैसलमेर में कोई Fuel and Fodder Reserve Grass Farms हैं ?

(२) कितने Reserve Grass Farms हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि उनकी देख रेख किसी कमेटी के जरिए कराई जाती हैं ?

(४) अगर उत्तर 'हां' में है तो उन सदस्यों के क्या नाम हैं ?

(५) क्या यह कमेटी किसी राजनैतिक संस्था की है ?

(६) क्या सरकार इन फार्मस की देखरेख करने में असमर्थ है ?

(७) अगर असमर्थ नहीं है, तो ऐसी कमेटी रखने का क्या उद्देश्य है ?

(८) इनसे होने वाली आमदनी क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री) यह वन विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है इसलिए उन्हीं से पूछा जाना चाहिए।

अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८३६ (१४९/आर.एम.)

श्री अध्यक्ष—श्री बी.एन. जोशी (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८३७(११०/एस. एम.)

श्री हनवन्तसिंह—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सम, खुइयाला, रामगढ, देवा, तेहडाई, सुलताना, मोहनगढ, नाचवा, नोख, बरसलपुर, विकूपुर, रनजीतपुरा, वगैरह ग्रामों में कोई सस्ते अनाज की दुकान नहीं है ?

(२) क्या "कोरिडोर" (Carridor) एरिया में राशन कार्ड पर अनाज नहीं मिलता ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)—(१) ये गांव किस जिले में हैं वह नहीं बताया गया है।

(२) "कोरीडोर" एरिया में राशन कार्ड से अनाज दिलाने की व्यवस्था है।

श्री हनवन्तसिंह—वहां पर दो ही तहसीलें हैं, ज्यादा तहसीलें तो है नहीं।

# Page No.27



**श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)**—आपने यह नहीं बताया कि ये गांव किस जिले से सम्बन्धित है। यहां और वहां से तो कोई मतलब नहीं निकलता है।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ८३८ (१५०/आर.एम.)**

**श्री अध्यक्ष**—श्री बी. एन. जोशी (अनुपस्थित)।

**प्रश्न संख्या ८३९ (१५१/आर. एम)**

**श्री प्रभुदयाल**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) हरिजनों की आर्थिक दशा को देखते हुए क्या सरकार उन्हें रियायती रेट पर जमीन दे सकती है ?

(२) अगर हां, तो चूरू जिले में कहां कहां दी गई हैं ?

(३) क्या तावान वगैरह भी माफ किया जा सकता है ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो सरदारशहर में किसको किया गया है ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—सरकार सभी जातियों के भूमिहीन काश्तकारों को जमीन अलॉट करने के लिये सुविधायें दे रही है। इन काश्तकारों में भूमिहीन हरिजन काश्तकार भी काफी मात्रा में हैं। इसलिये जाति के आधार पर रियायतें देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। तावान वगैरह के विषय में भी सभी जातियों के लिए एक ही नियम है।

**श्री प्रभुदयाल**—क्या सरकार हरिजनों के बसने के लिए रियायती दरों पर जमीन देती है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—अलग अलग जगहों की परिस्थितियां देखकर ही निर्णय किया जाता है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—अभी बताया गया है कि हरिजनों को रियायती दरों पर जमीनें दी जाती हैं। क्या यह बताया जायगा कि किस किस जिले में कितनी कितनी जमीनें दी गई हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—मेरे पास इस समय जिले वार तो लिस्ट नहीं है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जहां जहां, जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं उन्हीं के अनुसार जमीनें दी जाती हैं।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—वहां कब जमीनें दी जावेंगी और किन नियमों के अनुसार दी जावेंगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—दी जा रही हैं। नियम तो प्रश्न-कर्ता की जानकारी में हैं।

# Page No.28



**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या आगे भी देने का इरादा है ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—जरूर ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—वे किस प्रकार दी जावेंगी ? क्या नियम हैं जिनके अनुसार दी जावेंगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—यह प्रश्न तो आप कई बार कर चुके हैं ?

**श्री कंवरलाल जेलिया**—भूमिहीन काश्तकारों को जमीनें देने के लिए क्या हिदायतें दे रखी हैं?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—एक जनरल सर्क्युलर के तौर पर अधिकारियों को यह सूचना दे रखी है कि जमीन अलॉट करते वक्त भूमिहीन किसानों का ध्यान रखा जावे।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या भूमिहीन काश्तकारों में हरिजन काश्तकारों का खासतौर से हवाला है ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—मैंने अर्ज किया है कि खास तौर से नहीं है। पर यह सही है कि इनमें अधिकतर हरिजन भूमिहीन किसान हैं। तो इस दृष्टि से उन्हें इसका विशेष तौर पर लाभ पहुंचा ही है; यह स्पष्ट है ।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—सरकार उन्हें विशेष सुविधाएं क्यों नहीं देती है ?

**श्री मोहनलाल सुखाडिया**—मैंने अर्ज किया है कि उनको विशेष तौर से बसाने का प्रयत्न किया जावे; इस बात का ध्यान रखा जाता है। पर भूमिहीनों में अलग अलग भेद किया जावे, यह नहीं हो सकता ।

**श्री धर्मपाल**—नले के पास जो हरिजन भूमिहीन किसान बुरी तरह से बसे पड़े हैं उनका भी सुधार करने की सरकार के पास कोई योजना है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न भूमिहीन किसानों को जमीन देने का है। नले के पास बसे हरिजनों को बसाने का प्रश्न इस प्रश्न के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या सरकार की इस नीति से भूमिहीन हरिजन किसानों की आर्थिक दशा ठीक हो जावेगी, ऐसा सरकार सोचती है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—हां, सुधर जावेगी ।

(एक सदस्य खड़े हुए)

**श्री अध्यक्ष**—ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट ।

# Page No.29



प्रश्न संख्या ८४०

**श्री हनवन्तसिंह**—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार जैसलमेर शहर में मीठा पानी, तालाब घडसीसर से नल लगाकर, देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक उम्मीद की जावे ?

(२) रुकावट पड़ने के क्या कारण है ?

**श्री भोलानाथ** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(१) नहीं।

(२) जैसलमेर में पानी की व्यवस्था वर्षा से भरने वाले तालाबों पर निर्भर रहती है। इतने छोटे तालाब हैं कि उनमें नल नहीं लगाये जा सकते क्योंकि गर्मियों में आमतौर से पानी कम हो जाता है और नल से पानी का खर्च बढ़ जाता है। अभाव के कारण इन तालाबों के अतिरिक्त अन्य योजना पर विचार नहीं किया गया है।

अलबत्ता कुओं से नल लगाने की व्यवस्था अवश्य करदी गई है जिनकी व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी को सौंप दी गई है।

**श्री हनवन्त सिंह**—कुए का पानी खारा है और तालाब का पानी सूख जाता है तो क्या मीठे कुए नहीं बनाये जा सकते ?

**श्री भोलानाथ**—बनाये जा सकते हैं। अगर इसकी मांग हो तो।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट। श्री रघुराजसिंह।

प्रश्न संख्या ८४१

**श्री रघुराजसिंह**—Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:

(*a*) Is there any proposal to appoint a new Panchayat in Relawan Circle in Kishanganj Tehsil with Head Quarters at Relawan ?

(*b*) If so, when is the election of this Panchayat likely to be held ?

**श्री रामकरण जोशी**—(१) प्रपोजल (प्रस्ताव) आने पर विचार किया जावेगा।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**श्री अध्यक्ष**—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने उनके सन्मुख लिखे अवधिकाल के लिए विधान सभा से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

Page No.30



श्री रामचन्द्र चौधरी—१७ से २० मार्च, १९५३

श्री मंगलसिह कछवाहा—१८ से २४ मार्च, १९५३ ।

श्री हरिराम--१७ मार्च से १५ अप्रेल, १९५३ ।

श्री छतरसिंह—१७ से २० मार्च, १९५३ ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

(विराम)

Papers to be laid on the table of the House

सदन को मेज पर रखे गये पत्र

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—Sir, I lay as required by section 143 of the Motor Vehicles Act, 1939, a copy of the amended Rajasthan Motor Vehicles Rules published in Notification No. F. 10 (5)-Home (1)/52, dated the 9th December, 1952 in pursuance of the power conferred under section 68 of the Motor Vehicles Act, 1939.

विधान कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक १९५३

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--Sir, I beg to move that the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the service of the year ending the 31st March, 1954, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष--Motion moved.

श्री जसवन्तसिंह--Sir, before I speak on the consideration of the Bill, I would request you to let me know the procedure whether there will be a general debate at the time of consideration and also that the items of the schedule will be taken for discussion. I want to know the procedure so that we can follow it.

श्री अध्यक्ष—Since the Constitution has come into force, we have in our Constitution provisions relating to the Appropriation Bill. The Appropriation Bill is nothing but a formal, technical affair. When the Budget is placed, we have general discussion on the Budget and after that stage we come to the

# Page No.31



[श्री अध्यक्ष] .

Voting on Demands. We take every demand and after discussion over them two stages are finished. Thus we finish the consideration of the Budget after discussing the two stages. Then we come to the Appropriation Bill.

This has been the practice in the Centre: The Speaker of the House of the People, while the Appropriation Bill was being introduced, observed that under the new Constitution it was only a technical affair and further added that it is true that the House has a right to discuss at this stage also the Budget and can very well discuss not only the principles but the general policy of the Government over this Appropriation Bill.

Under the Constitution no amendment of this Bill which changes the figures can be moved in the House and the Presiding Officer shall have final authority in disposing of such an amendment, if any.

Now it is for the House to consider whether the same argument and the criticism which were advanced at the previous stages when the Budget was taken for general discussion and when each and every item was discussed at the time of the Voting on Demands, it is desirable for Members to speak or to inflict the same arguments at the stage of the Appropriation Bill.

On one occassion the Hon'ble Speaker of the House of People observed that no doubt the Members had a right to participate or rather to criticize the Budget and partake in those discussions, but he thought that it was not advisable to have the repetition or rather the infliction of the same arguments of which the stage has been passed or which have been discussed before and it was rather very witty on his part to have remarked that in order that the Hon'ble Members may not have opportunity to catch his eyes, he would shut his eyes.

So, I think, if the Hon'ble Leader of the Opposition is very particular we can discuss particularly as he has expressed resentment that on the previous stage also he did not got an opportunity of discussing the Appropriation Bill. I want to make it clear that it is the right, just the right of the Members to discuss the Appropriation Bill. But the question is whether it will be proper to inflict the same arguments over and over again. So I would appeal that this stage be passed. This is only a formal stage. Even if we have passed the General Budget, no amount of money out of that Consolidated Fund can be drawn unless we pass the Appropriation Bill and so this is a formal affair. Formerly under the Government of India Act, 1935, monies could have been drawn out of the Consolidated Fund under the orders of the Governor General But now this power has been left to be decided by the legislature.

[ श्री अध्यक्ष ]

I think the House will keep in mind that the same arguments are not inflicted again while we consider this Appropriation Bill.

**श्री जसवन्तसिंह**— May I submit, Sir, a few words in this connection ?

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, हम लोगों के सामने यह सवाल है कि एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस कर सकते हैं या नहीं। यह तो माननीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि इस हाउस के माननीय सदस्यों को बहस करने का हक है और वे बहस कर सकते हैं मगर कनवेन्शन ऐसी होगई है इस कांस्टिट्युशन के पास होने के बाद में कि मामूली तौर पर इस पर बहस नहीं होती है, इसमें जो रकम रखी गई है उसमें कमी नहीं की जा सकती। यह मुझे साफ नहीं मालूम हो सका है क्योंकि आजकल भारत के सभी प्रान्तों में बजट पर बहस चल रही है और अलग अलग विधान सभाओं में एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस की जा रही है और हमें अखबारों में यह भी देखने को मिलता है कि वहां बहस जनरल डिबेट के सिलसिले में भी जारी है और अमेन्डमेन्टस् भी पेश किये गये हैं; यह तो हुआ हमारे हक का सवाल। मगर मेरे खयाल में इस हाउस का यह हक है कि अगर वह फीगर्स में बदली करना चाहे तो बदली कर सकता है। इसके मायने यह हुए कि सरकार में सदन का विश्वास नहीं रहा है इससे सरकार के मंत्रियों को अपना पद छोडना पडेगा; यदि इस बात पर सदन तुल जाय कि उसके फीगर्स का बदलना ही है तो। इस सवाल पर नो कोनफीडेन्स (no-confidence) की तरह सरकार को अपने स्थान से अलग किया जा सकता है, अगर फिगर्स बदले जायं तो। यह भी हमारे हक का सावल है।

जहां तक सदस्यों के बोलने का सवाल है माननीय सदस्यों को मालूम है कि ग्युलोटीन (guillotine) की वजह से और प्रोग्राम ऐसा बनाये जाने की वजह से बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रगट नहीं कर सके। उन विषयों पर माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रगट करने का समय मिलना चाहिये और जिन पर अपने विचार प्रगट नहीं कर सके संक्षेप में अपने विचार प्रगट करने का अवसर दिया जावे ताकि ट्रेजरी बेन्चेज को मालूम हो सके कि कौन कौन सी खामियां इन विभागों में हैं और इनके विषय में उनको क्या प्रत्युत्तर देना है। यह एक फोर्मेलिटी होते हुए भी मैं माननीय अध्यक्षजी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय सदस्यों को अपने अपने विचार प्रगट करने का समय दें।

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि इस बिल के फीगर्स के बदलने का यह अर्थ हो जाता है कि सरकार में विश्वास नहीं रहा; इस सम्बन्ध में मेरी ऐसी धारणा है कि वह सरकार के खिलाफ नो कोन्फीडेन्स न होकर हाउस के स्वयं के लिये नो कोन्फीडेन्स (no-confidence) होता है।

एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने के लिये समय दिया जाय या नहीं, यह तो मैं माननीय अध्यक्ष पर छोड़ता हूं लेकिन मैं इतना अर्ज अवश्य करूंगा कि आज ३१ मार्च है और आज ही हमें इस पर

[श्री जयनारायण व्यास]
श्रीमन् राजप्रमुख के हस्ताक्षर लेने हैं; इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी पास करके हमें कुछ सुविधा दें ताकि नये साल से फीगर्स के अनुसार रकम काम में लेने लग जायं ।

श्री अध्यक्ष–मैं इस स्थिति को और स्पष्ट कर दूं । इस बिल के ऊपर सदन के प्रत्येक सदस्य को तो नहीं किन्तु सदन को पूरा वाद-विवाद करने का अधिकार है; मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन देखना यह है कि सदन इसके साधारण बहस के समय इस चीज को पेश कर सका वह स्टेज थी वोटिंग ऑन डिमान्डस् (Voting on Demands) की । उसके बाद में एप्रोप्रियेशन बिल का प्रश्न आता है तो ऐसी परिस्थिति साधारणतया उत्पन्न नहीं होती कि उसके आंकड़े बदल कर के ऐसी स्थिति लाई जाय जिस पर सरकार को त्याग-पत्र देना पड़े, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा ।

इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की धारा २०४ स्पष्ट है। उसको पढ़ देने के बाद में यह शक नहीं रह जाता । मेरे पास एक अमेन्डमेन्ट भी आया है माननीय सदस्य का । मैं चाहता था कि उस समय स्थिति स्पष्ट कर देता किन्तु पहले ही इस प्रकार की स्थिति सामने आ गई है इसलिए मैं उस धारा को पढ़कर सुना दूं जिससे शंका का समाधान हो जायगा:—

"No amendment shall be proposed to any such Bill . . . ."
एप्रोप्रिएशन बिल का कॉन्टैक्स्ट (context) है .. .. .. .. ...

". . .in the House and either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, and the decision of the person presiding as to whether the amendment is inadmissible under this clause shall be final".

तो स्पष्टतया यह प्रतिबन्ध वैधानिक है इसलिए इसके ऊपर ज्यादा कोई वाद-विवाद न किया जाय, वह स्थिति उत्पन्न न की जाय जैसी कि स्थिति पर हाउस विचार कर चुका है ।

दूसरी बात यह है कि जिन मांगों पर ग्युलोटिन (guillotine) के कारण वाद विवाद नहीं हो सकता उसमें कुछ तर्क अवश्य है । अगर सदन के कुछ सदस्य चाहें कि उनके ऊपर कुछ प्रकाश डालें, जिन पर कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना है तो मुझे उनको समय देने में कोई आपत्ति नहीं है । एक बात और स्पष्ट कर दूं कि सदन के वे सदस्य जो बोलना चाहें उन सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं है कि वे बोलें। यह तो सदन के अध्यक्ष को अधिकार है कि वह जिनको बोलने की इजाजत देना चाहे, दे । अब स्थिति स्पष्ट है; आप जो कुछ बोलना चाहें बोलें ।

श्री जसवन्तसिंह–माननीय अध्यक्ष, कन्सीडरेशन (consideration) के लिए अभी जो एप्रोप्रियेशन बिल रखा गया है उस पर हमें बहुत कुछ कहना है क्योंकि जिस प्रकार यह आय और व्यय का बजट बनाया गया है उस पर विरोधी पक्ष को बिल्कुल संतोष नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिस समय बजट पर

[ श्री जसवन्तसिंह ]

बहस हो रही थी उस समय हमने सरकार के सामने कुछ सुझाव रख थे। उन सुझावों के संबंध में सरकार ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और न उन पर कुछ कहा भी गया कि उन पर उनका क्या जवाब है। अब मैं सदन का समय इस विषय में ज्यादा न लेकर, दो चार विषयों पर मुझे जो कुछ कहना है मैं उन विषयों पर फौरन आजाऊंगा।

सबसे पहले मेडिकल डिपार्टमेन्ट को लेता हूं, जिसका जनहित के कारण जनता के साथ बहुत कुछ सम्पर्क है। किन्तु हमारे मंत्री मंडल और मुख्य मंत्रीजी हमसे यह कहते आरहे हैं कि उनका उद्देश्य यह है कि वे इस स्टेट का एक वेलफेयर स्टेट सच्चे मायने में बनावें। किन्तु जनहित के कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम इस बात के हकदार हैं या नहीं कि हमारी सरकार जो अपने आपको लोकप्रिय सरकार कहती है और जो इस स्टेट का एक वेलफेयर स्टेट बनाने का दावा करती है, कि हम इस बारे में कुछ मांग करें?

यह सभी मानेंगे कि किसी भी बिगड़ी हुई चीज़ को अच्छा बनाना एक अच्छी चीज़ है। सुधरी चीज़ को विध्वंस करने के क्या मायने हैं? क्या यह वेलफेयर स्टेट बनाने का नमूना है? मैं तो इस प्रकार के विचारों से जो हमारे मुख्य मंत्रीजी के हैं, कतई सहमत नहीं।

सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि बीकानेर में एक हॉस्पिटल है जिसके अन्दर ६२५ बेड्स हैं और जो आधुनिक औज़ारों से पूर्णतया सुसज्जित है। उस अस्पताल के अन्दर एक्सरे और रेडियम इन्सटीट्यूट आला दर्जे का है, जो कि हिन्दुस्तान के बडे बडे अस्पतालों से टक्कर ले सकता है।

वहां पर एक ऐसा अस्पताल टी.बी. का है जिसमें ९२ बेड्स हैं, और राजस्थान में वह टी.बी. का अस्पताल सबसे बड़ा है। राजस्थान के निर्माण से पहले भारत के ही नहीं लेकिन दुनिया के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट (specialist) जो कि हिन्दुस्तान के किसी बड़े अस्पताल में नहीं मिल सकते थे उनको हज़ारों रुपये तनख्वाह देकर बीकानेर बुलाया गया था और उस वक्त बीकानेर का अस्पताल सिर्फ बीकानेरी जनता के लिए ही नहीं, राजस्थान और भारत की जनता के लिए भी था, और कोने २ से बीमार लोग इलाज कराने के लिए आते थे। लॉर्ड माउन्टबेटन जो कि ईस्ट के लिए ऑथोरिटी माने जाते हैं, जो कि सेकेण्ड ग्रेट वर्ल्ड वार में सुप्रीम कमान्डर ऑफ एलाइड फोर्सेस रह चुके थे और भारतवर्ष में बहुत समय तक वाइसराय रहे हैं, जिनका पूर्व के विषय में भारी ज्ञान था, उन्होंने भी बीकानेर का अस्पताल देखा तो यह कहा था कि "Best Hospital in the East" (पूर्व का सर्वोत्तम अस्पताल) बीकानेर के अस्पताल के लिए उनका यह रिमार्क था। गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के सबसे बडे एक्सपर्ट डा. जनरल भाटिया और कर्नल मीराजकर ने भी बीकानेर के अस्पताल को देखा और उन्होंने भी उस अस्पताल के लिए यह कहा था "Pride of India" (भारत का गौरव)। यह बीकानेर के अस्पताल का हाल था। एफ. आर. सी. एस. एक्जामिनेशन के लिए जनरल मेडिकल कौन्सिल ने बीकानेर के अस्पताल को एफ. आर. सी. एस. के हाउस सरजन के इम्तिहान के लिए रिकॉग्नाइज किया और वहां पर कुछ

[ श्री जसवन्तसिंह ]
एग्जामिनेशन भी राजस्थान बनने से पहले हुए । वह ऐसा अस्पताल था । उसकी आज हमारी जन प्रिय, वेलफेयर स्टेट बनानेवाली कांग्रेस सरकार ने क्या हाल कर दिया है उस पर में जरा रोशनी डालना चाहता हूं । करीब डेढ-दो वर्ष पहले, राजस्थान बनने के बाद में हमारी जनप्रिय सरकार ने यह सोचा कि अब राजस्थान बन गया इसलिए अब बीकानेर और दूसरी जगह से बीमारियां उठ गई और राजस्थान की राजधानी जयपुर में आकर रह गई ।

**श्री हिम्मतसिंह**—अच्छा हो कि ऐसा हो जाय ।

**श्री जसवन्तसिंह**—उसका नतीजा यह हुआ कि एक ही महीने के अन्दर १२ टॉप डॉक्टर्स (top doctors) की वहां से बदली की गई । कुछ स्पेशलिस्ट भी वहां थे जिन्हें हटाकर आज तक उन्हें वहां पर रिप्लेस नहीं किया गया है । वहां पर जिस अस्पताल में दो-दो तीन तीन एफ.आर.सी.एस. डाक्टर्स रह चुके हैं, उस अस्पताल के साथ एक ऐसा जनाना अस्पताल भी है कि जिसमें एक एफ.आर.सी.एस., एम. डी. एम. एस. डाक्टर्स थे वहां पर आज बीकानेरियों के दुर्भाग्य से एक भी एफ. आर. सी. एस. डाक्टर नहीं है । आज उस अस्पताल में जहां १०-११ स्पेशलिस्ट थे, ३-४ स्पेशलिस्ट रह गये हैं । आप देखिये कि बेक्टीरियोलोजिस्ट जहां पर स्पेशल तौर पर रखा गया था, उस पोस्ट को वहां से समाप्त कर दिया गया है । एक एनेस्थेटिस्ट वहां था उसे हटा दिया गया है । इयर, नोज एन्ड थ्रोट स्पेशलिस्ट को भी वहां से हटा दिया गया है । उनकी खाली पोस्टों को नहीं भरा गया है । अब एक ऐसे डाक्टर को भेजा गया है जो उस काम के लिये पूर्णतया क्वालिफाइड नहीं है । यह हाल है । जहां पर इतने लेडी डाक्टर थीं वहां पर एक असिस्टेन्ट डाक्टर को हैड ऑफ दी जनाना अस्पताल बनाया गया है । सबसे बडी दुख की बात है कि वहां पर कठिन कनफाइन्मेन्ट (confinement) में बच्चा पैदा कराना मुश्किल हो जाता है । उसके लिए मेल डॉक्टर्स (male doctors) को ऑपरेशन्स करने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए बुलाया जाता है । हम भारतीय हैं, हम नागरिकों के इस बात में भिन्न दृष्टिकोण हैं । मगर हमारे लिये दुख की बात है कि थोड़ा सा रुपया बचाने के लिए, जब कि बीकानेर ने अपनी तरफ से बीकानेर के लिए इतना बड़ा भाग दिया, इतना बड़ा त्याग किया, उसका नतीजा, उसका फल हमें यह दिया जा रहा है कि वहां के बिमारों का इलाज कराने के लिए बीकानेर राज्य ने जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था को सिर्फ हटाया ही नहीं गया है लेकिन विध्वंस किया गया है ।

वहां पर चिल्ड्रेन का वार्ड था । उस चिल्ड्रेन के वार्डस में जो डाक्टर था उसको हटाकर दूसरा डाक्टर रखा गया है । तो मैं हमारी सरकार की इसमें क्या मन्शा समझूं । हम सरकार की मन्शा जानना चाहते हैं कि बीकानेर ने आखिरकार क्या किया है राजस्थान का जिसकी वजह से उसके निवासियों को ऐसा दुख दिया जाता है ? खैर, दुख आप दीजिए, लेकिन क्या ऐसा काम करने से क्या सरकार जन-प्रिय सरकार कहाने का हक रख सकती है ? हिन्दुस्तान में जो इलाज नहीं हो सकता था वह बीकानेर के अस्पताल में होता था, किन्तु आज वहां दवाइयां नहीं मिल रहीं हैं, वहां पर डाक्टर नहीं हैं, कुत्तों के सिवाय और वहां पर कोई चीज दिखाई नहीं देती है । जिस अस्पताल को "Pride of India" यानि हिन्दुस्तान का गौरव बनाया गया था, लार्ड माउन्टबेटेन ने जिसे "The best hospital in the east"

[श्री जसवन्तसिंह]

यानि पूर्व का सबसे उत्तम अस्पताल कहा था उसको आज आप देखें तो आज वह मेरी समझ में सबसे रद्दी अस्पतालों में है। वहां कोई स्पेशलिस्ट नहीं रह गया है। फिर हमसे यह आशा की जाय कि हम प्रशंसा करें कि यह बजट जनहित के लिए बनाया गया है यह कैसे हो सकता है? बड़े दुख के साथ में यह कहूंगा कि इस बजट के साथ हम कोई सहयोग नहीं दे सकते हैं। एक दूसरी बात मुझे और संक्षेप में कहनी है, वह है एजुकेशन की मांग। हालांकि इस पर इस सदन के सामने कुछ हद तक बहस हो चुकी है फिर भी इसके एक नये आइटम पर मैं हाउस की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। हमारे यह देखने में आया है कि करीब १९,३०,०००) रु० ग्रान्ट इन एड के लिए रखा गया है। ठीक है, बहुत अच्छी रकम है। लेकिन इस ग्रान्ट इन एड का क्या सदुपयोग है क्या जरूरत है। एक जगह जो ग्रान्ट इन एड दी जाती है, इसका उदाहरण देकर इस विषय को छोड दूंगा। आप देखिये कि दूसरी जगह की संस्था भूखों मर जाय और उनकी आवश्यकता है लेकिन हमारे शिक्षा मंत्रीजी यह कहते हैं कि धनाभाव के कारण हम उसको कुछ और नहीं दे सकते हैं। एक उदाहरण एक संस्था का मैं बतलाना चाहता हूं कि किस प्रकार दुरुपयोग करके रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं उस संस्था का नाम लूं तो उसके प्रति मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है लेकिन जब एक संस्था के प्रति इस तरह से पक्षपात किया जाता है तो दूसरी जगह की संस्थाओं को जो भूखों मारी जाती हैं उसको जरूर दुख होता है। जिस संस्था का मैं जिक्र करना चाहता हूं वह संस्था राजस्थान विश्व विद्यापीठ नाम की यह उदयपुर की एक संस्था है जिसको ४०,०००) रु० ग्रान्ट इन एड प्रति साल दिया जाता है। यह मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि यद्यपि आज शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं, इसका जवाब जानना चाहता था, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि जब विश्व विद्यापीठ युनिवर्सिटी के बराबर है तो उसमें क्या क्या परीक्षायें होती हैं? कृपा करके यह बतलाया जाय कि उसमें जो स्टॉफ रखा गया है वह पार्ट टाइम है या होल टाइम है? हाउस की जानकारी के लिये मैं यह कह सकता हूं कि वह परमानेन्ट स्टॉफ नहीं है। हमें बतलाया जाय कि ४०,०००) रु. की जो ग्रान्ट इन एड दी जाती है वह किस आधार पर दी जाती है? जो ग्रान्ट इन एड दी जाती है क्या वहां जितना खर्च किया जाता है उस आधार पर दी जाती है? हमें यह देखना है कि उस संस्था द्वारा कितना खर्चा इसके लिये किया जा रहा है और जो स्टॉफ है उनको क्या क्या सेलेरीज (Salaries) दी जाती हैं, वह संस्था क्या क्या सेलेरीज देती है? यह कृपा करके बतायें। मैं हाउस की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि यहां पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षायें होती हैं। हिन्दी की परीक्षायें मामूली तौर पर प्राइवेट ही दी जाती हैं और हिन्दुस्तान के हर कोने के लोग इन परीक्षाओं को प्राइवेट ही देते हैं। यहां के अध्यापक भी दो घन्टे के लिये पढ़ाने आते हैं और उसके लिये हमारी सरकार ने इस विद्यापीठ को ४० हजार रुपया दिया है। आप लोग खुद अन्दाजा लगावें और देखें कि यह रवैया सरकार का कितना पक्षपात पूर्ण है? इसी सिलसिले में मैं एक बात यह भी बता देना चाहता हूं कि भारत के सभी प्रान्तों में, आसाम को छोडकर कहीं भी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गवर्नमेन्ट सेक्रेटेरियट के अन्डर में नहीं है, वे सीधे डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अन्डर में हैं। मगर यहां सेक्रेटेरियट के अन्डर में हैं, इसका क्या कारण है? यह तो डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के पास ही होना चाहिये।

[श्री जसवन्तसिंह]

शिक्षा के सेक्रेटरी मेरे साथ काम कर चुके हैं और मुझे उनके प्रति कोई रोष नहीं है। वे बड़े योग्य हैं, लेकिन वे संस्कृत का अक्षर भी नहीं जानते और संस्कृत कॉलेज भी इन्हीं के अधिकार में रखी गई है। वे शिक्षा के बारे नहीं जानते। वे कस्टम में काम किये हुए हैं और केवल इसी काम को जानते हैं। यदि सरकार की यह नीति हो कि जैसे एक नाई जो उस्तरे का काम करता है और उसी प्रकार एक सज्जन भी उस्तरे का काम करता है यह समझकर कि दोनों ही उस्तरे के काम करते हैं नाई को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में सरजन की जगह बिठला दे और सरजन को नाई की जगह हजामत करने के लिये, तो दोनों काम खराब हो जावेंगे। इसी प्रकार यदि सरकार की यही मंशा हो कि जो शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते और जो मामूली ग्रेजुएट हैं और कस्टम के बारे में जानकारी रखते हैं उनको शिक्षा का महकमा सुपुर्द किया गया : यदि सरकार हमारी, जो लोकप्रिय होने का हक रखती है और इस प्रकार के कार्य करना चाहती है तो हमें दुख के साथ कहना होगा कि सरकार के विचारों के साथ हम सहमत नहीं हैं। क्योंकि सारा काम तो सेक्रेट्री ही करता है और मिनिस्टर पॉलिसी ले डाउन (lay down) किया करते हैं।

अब मैं छोटी सी बात उद्योग धंधों के संबंध में बताऊंगा। हमारी जनप्रिय सरकार इस संबंध में क्या कर रही है और क्या हम उससे यह उम्मेद कर सकते हैं कि उद्योग-धंधों का विकास होगा और वेलफेयर स्टेट बनेगी ? हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में यह बताया था कि वे यह चाहते हैं कि यहां के हेन्डीक्राफ्ट (Handi Craft) बाहर बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानों में स्थान पाएं। इस संबंध में मैं बीकानेर जेल में बनाई जाने वाली कारपेट और दरियों और कुछ किस्म के कपड़ों के संबंध में बताना चाहता हूं कि वहां पर दरियें और कपड़ा और खास तौर पर कारपेट ऐसे सुन्दर बनते थे कि वे पर्शियन (Persion) कारपेट की टक्कर लेते थे। एक समय का उदाहरण मैं आपको देता हूं कि इंगलेंड में १५-२० वर्ष पहले बीकानेर कारपेट भी पर्शियन आदि कारपेट के साथ बिक रहे थे। स्वर्गीय महाराजा श्री गंगासिंहजी ने इंगलेंड में उसे देखा और वहां से खरीद कर वे बीकानेर ले आये और सेन्ट्रल जेल में उसको ला कर दिखाया कि इस प्रकार का कारपेट बनाया जाना चाहिये। पर पता चला कि वह कारपेट तो बीकानेर का ही बना हुआ था। वह बहुत ही सस्ती कीमत में हमारे बीकानेर में था किन्तु वे उसे चौगुनी कीमत देकर इंगलेंड से खरीद कर लाये थे। आज आप सेन्ट्रल जेल बीकानेर में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि अब वह बात नहीं रही जो पहले थी। मुझे अपने एक मित्र की शादी में एक कारपेट भेंट करनी थी सो मैं कारपेट लेने के लिये गया। मगर मैंने देखा कि जो चीजें पहले बनती थीं अब वैसी कारपेट नहीं बन रही हैं। उस कला को हम अपनी आंखों के सामने विध्वंस होते हुए देख रहे हैं। आज जो कुछ भी चीजें मिलती हैं वे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही हैं और साइन्टिफिक कलर्स वगैरह से जो चीजें मिलती थीं वे अब नहीं मिलती हैं। पहले सेन्ट्रल जेल में बहुत अच्छा दरियें बनती थीं। अब यह सुन रहे हैं कि दरियें अब जेल में नहीं बनेंगी। पहले जो कपड़ा बनता था वह भी आज नजर नहीं आता। क्या वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है कि वहां के जो जो हेन्डी क्राफ्ट हैं उनको नष्ट किया जावे ? हमारी सरकार बराबर यह कहती है कि पुरानी राजधानियों के महत्व को बनाये रखेगी। मगर हम जानना चाहते हैं कि पुरानी राजधानियों का महत्व क्या इस तरीके से बना रह सकता है ? सरकार यदि पुरानी

[श्री जसवन्तसिंह ]

राजधानियों में जो चीजें बनती हैं उनको अगर ज्यादा प्रोत्साहन न दे तो कमसे कम उनको विध्वंस तो न होने दे। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इसमें क्या मजा आता है ? शायद सरकार यह जानती होगी कि पुराने राजाओं के जमाने में ऐसी अच्छी चीजें जो होती थीं और आज नहीं होती हैं उनको नष्ट करके उनका नामोनिशान मिटा दिया जावे। सारे राजस्थान को तो सरकार जैसा चाहे करे मगर ये बातें ऐसी हैं जिनको देखकर दुख होता है और इस बजट में राजधानियों के लिये जो रकम रखी गई है उसको देखते हुए यह कह सकते हैं कि उनसे पुरानी राजधानियों की कुछ भी उन्नति नहीं हो सकती।

अन्त में मैं दो शब्द अपनी जनप्रिय सरकार के संबंध में कहना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि सदन के सदस्य मुझे मेरे कहने को माफ करेंगे । हमारी जनप्रिय सरकार के लिये, जैसा कहा जाता है "अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा" वाली कहावत चरितार्थ होती है। इस समय निर्दोष को फांसी दी जाती है और दोषी को इनाम दिया जाता है । हमारे यहां न्याय हो रहा है या अन्याय यह कोई नहीं सोचता । यहां तो आलागीला सूखा सब जलता है । यह हालत आज हमारी है। आप आज सेक्रेटेरियेट में जाकर देखिये कि वहां के सर्विस क्लास की क्या हालत है। एनिमेटेड सस्पेन्स में सब लोग हैं। उनके पास यदि कोई अपना दुख दर्द सुनाने जाए तो क्या वे अपना ध्यान उसको सुनने में एक मिनिट भी दे सकते हैं? नहीं। उनको सिर्फ इस बात का फिक्र है कि हमें किस वक्त सरकार निकाल दे। इसके लिये रूल्स बने हुए हैं, इसके लिये पी.एस.सी. है जरूर लेकिन उसका उपयोग सही माने में किस प्रकार होता है, इस बात को हर एक सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। इन सब बातों को कहने के बाद हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बजट बनाया गया है वह इस प्रकार जल्दबाजी से पास किया गया है कि माननीय सदस्यों को अनुकूल समय भी नहीं दिया गया। इसलिये जिस प्रकार यह एप्राप्रिएशन बिल सदन में लाया गया है उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं ।

(श्री संतोषसिंह बोलने के लिये खडे हुए)

**श्री अध्यक्ष**—You had an opportunity to speak on the General Discussion of the Budget. I do not think when the Leader of the Opposition has said something, all other members should speak. The attention of the members has been drawn....

**श्री कानसिंह**–I have to say a few words about General Administration.

**श्री अध्यक्ष**–The Appropriation Bill is a very technical stage and if we go on discussing the very details of all the items which are mentioned in the Appropriation Bill, that will more or less be a general discussion on the Budget.

Now reply from the Government may be given.

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे आज बहुत सारी बातें नहीं कहनी हैं. पर मेरे मित्र वाम पक्ष के नेता, कं० जसवन्तसिंहजी ने कुछ मुद्दे उठाये हैं और उन मुद्दों का उत्तर मुझे देना चाहिये ।

[श्री जयनारायण व्यास]

सबसे पहली बात मुझे यह कहनी है कि इस बजट डिस्कशन में काफी समय नहीं मिला और बहुत से कट्स पर ग्यूलोटीन भी लागू किया गया था। मैं वाम पक्ष के इस चार्ज को स्वीकार करता हूं कि थोड़ा समय कम लगा, इसलिये नहीं कि उस समय में डिस्कशन नहीं हो सकता था पर इसलिये कि बहुत से सज्जन बोलना चाहते थे। मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के बहुत से लोग, खास करके वाम पक्ष में से बहुत से लोग बोलना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से दो-तीन दिन आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज्ञा आपकी होगी तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा।

हमारे मित्र ने दो-तीन बातें खास तौर से कही हैं। बीकानेर के अस्पताल के संबंध में जो बातें कहीं उनके संबंध में मैं थोडा अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बहुत सारी राजधानियां थीं और उनमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें थीं, बल्कि यह कहूं कि तो भी मेरे साथी मानेंगे कि सारी की सारी हमारी रेवेन्यू राजधानियों की तरफ खिंच कर आ जाती थी, अच्छा अस्पताल हो तो राजधानी में हो, अच्छा कॉलेज हो तो राजधानी में हो और अच्छे हाईस्कूल हों तो राजधानी में हों; सब राजधानियों में ही होते थे बाहर तो बहुत कम होते थे। मेरी रियासत में, जहां मैं पैदा हुआ और जहां चीफ मिनिस्टर भी रहा, बरसों तक राजधानी से बाहर हाईस्कूल नहीं रहे। मैं बीकानेर को भी जानता हूं। बीकानेर में भी एक हाईस्कूल ही रहा था, फिर वह डूंगर कालेज बना। जो भी कल्याणकारी कार्य हों वह रियासतों की राजधानियों में ही हों, यह पहले नीति थी और इस तरह राजधानियाँ काफी सरसब्ज होती थीं और वहां काफी बातें होती थीं।

इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान बनने के बाद पुरानी राजधानियों का महत्व कम होगया, उनके महत्व को बढाना चाहिये। यह काम केवल गवर्नमेन्ट का ही नहीं बल्कि वामपक्ष का भी कार्य है कि दोनों मिल कर पुरानी राजधानियों के महत्व को बढायें। फिर भी मुझे शक है कि हम पुरानी राजधानियों को उस समय जो साधन दिये जाते हैं वे अब दे सकेंगे।

इसमें कोई शक नहीं कि बीकानेर का अस्पताल एक बहुत ही अच्छा अस्पताल था। मैं भी उन लोगों में से हूं जो बीकानेर के अस्पताल के प्रशंसक हैं। बीकानेर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, के अस्पताल सुन्दर थे और अब भी हैं। बीकानेर में काफी स्पेशलिस्ट थे और कुछ जयपुर लाये गये। वे यहां लाये गये हैं, राजस्थान की दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने के लिये। डा. मेनन यहां के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर भी हैं। डा. मेनन जोधपुर में होते तो जोधपुर वाले खुश होते और अगर बीकानेर में होते तो बीकानेर वाले खुश होते, पर वे जयपुर में हैं और राजस्थान के मेडिकल डिपार्टमेन्ट की देख-रेख करते हैं, निगरानी रखते हैं। इससे सारे राजस्थान को खुशी है और अगर सारे राजस्थान की खुशी के लिये बीकानेर को त्याग भी करना पडे तो इसके लिये जसवन्तसिंहजी को खुशी होनी चाहिये कि हमने राजस्थान के लिये एक मेडिकल ऑफिसर दिया। पर पुरानी आदत है, हम भूल नहीं सकते। एफ.आर.सी.एस. की योग्यता का कोई आदमी बीकानेर में नहीं है ऐसी बात नहीं है। एम.आर.सी.एस. और एफ.आर.सी.एस. की योग्यता बराबर है।

**श्री जसवन्तसिंह**—Is there any such lady doctor in Bikaner?

**श्री जयनारायण व्यास**—लेडी डाक्टर के बारे में मुझे मालूम है। मैं शिकायत नहीं करता कि बीकानेर कोई लेडी डाक्टर जाने तैयार नहीं है। ज्यों ही लेडी डाक्टर मिलेगी उसे बीकानेर भेज देंगे। यह और मैं बताऊं कि चार-छ मह ने पहिले ही लेडी डाक्टर के अपांइन्टमेन्ट के ऑर्डर हो गये हैं, मिलते ही भेज दी जायगी।

**श्री जसवन्तसिंह**—अभी मेन्युफेक्चर नहीं हुई है ?

**श्री जयनारायण व्यास**—मेरे मित्र कहते है कि मेन्युफेक्चर नहीं हुई, यह मैं स्वीकार करता हूं। हां, हमने डाक्टर्स और लेडी डाक्टर्स की फेक्टरी खोल रखी है, वह है हमारा मेडिकल कालेज। २५ लाख का मकान बना चुके हैं, १० लाख की मूंजरी दे चुके हैं और १० लाख फिर ऊपर की स्टोरी में लगा देंगे। वहां से लेडी डाक्टर्स और मेल डाक्टर्स भी मेन्युफेक्चर हो जायेंगे।

बजट का जहां तक सवाल है, मेडिकल एड (medical aid) का जहां तक सवाल है राजस्थान बना था उस वक्त से आज तक मेडिकल पर होने वाला खर्चा ड्योढा तक हो चुका है। आप कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट की तरफ नहीं जा रहे हैं। पर मैं बताऊं कि १२ करोड़ से ज्यादा रुपया ऐसी एक्टीविटीज़ में लगता जो वेलफेयर एक्टीविटीज़ हैं। मैं मानता हू कि कमियें हो सकती हैं किन्तु उन कमियों को पूरा किया जायगा। गये साल से १० लाख रुपया मेडिकल डिपार्टमेन्ट पर ज्यादा खर्च होने वाला है।

आपको शिकायत थी कि होस्पिटल में कुत्ते फिरते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुत्ते वहीं फिरा करते हैं जहां पर रोटी का इन्तजाम है। वहां रोटी मिलती है इसलिये कुत्ते फिरते हैं।

आपको शिकायत है कि लेडी डाक्टर अभी तक नहीं मिली है। पर कुंवर साहब को यह सुन कर खुशी होगी कि जनाना हॉस्पिटल बीकानेर में है उस पर खर्चा बढ़ गया है और वह बहुत खर्चा करने वाले अस्पतालों में से एक है।

एज्युकेशन के बारे में सवाल उठाया गया कि विश्व विद्यापीठ उदयपुर में परमानेन्ट स्टाफ नहीं है, क्या काम होता है हमें पता नहीं। मैं मानता हूं कि किसी संस्था को कभी भी मदद नहीं मिल सकती जब तक कि वह यूजफुल (useful) काम नहीं करती। इस विश्व विद्यापीठ ने जो रिसर्च के बारे में काम किया है वैसा बहुत कम एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूट ने किया होगा। कुछ टीचर्स वहां ऐसे भी हैं जो अपनी योग्यता से चौथा हिस्सा लेकर अपना काम चलाते हैं। वह ऐसे पागलों की संस्था है जो शिक्षा के पीछे पागल है। किसी भी संस्था की कीमत उसके परमानेन्ट स्टाफ से नहीं बल्कि उसकी विशेषताओं से आंकनी चाहिये। विश्व विद्यापीठ एक एक्टीविटी वाली संस्था नहीं बल्कि अनेक एक्टीविटीज़ की संस्था है। वे लोग ज्यादा विशेषता धन को नहीं बल्कि सेवा को देते हैं।

एज्युकेशन सेक्रेटरी के बारे में कंवर साहब ने कहा कि वह संस्कृत साहित्य नहीं जानते। वे मेरे स्टुडेन्ट रहे हुए हैं, बी.ए. में उनके संस्कृत थी। मिनिस्टर्स के लिये यह जरूरी नहीं है कि जो विषय लें उसकी उनको जानकारी हो। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में एडमिनिस्ट्रेशन की वाकफियत होनी चाहिये।

[श्री जयनारायण व्यास]

हर एक सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है वह यदि हर एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो जाय तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई सेक्रेटरी नहीं मिलनेवाला है। आप कोई भी विषय ले लीजिए। एज्युकेशन को ही ले लीजिए। एज्युकेशन में संस्कृत भी है, मेथेमेटिक्स भी है, साइन्स भी है, साइन्स में बायोलाजी भी है। तो क्या सेक्रेटरी को मेथेमेटिशियन भी होना चाहिये, साइन्टिस्ट भी होना चाहिये और बायलाजी भी जाननेवाला होना चाहिये। मेरे मित्र मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वे इस बात को जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिये सब विषयों का जानकार आदमी होना आवश्यक नहीं है। मेरे मित्र मेरे साथ काम कर चुके हैं, वे काफी काबिल हैं। यदि वे एज्युकेशन मिनिस्टर होते तो भी एज्युकेशन का काम अच्छी तरह से चला लेते ऐसा मैं मानता हूं।

**श्री जसवन्तसिंह**—जी नहीं।

**श्री जयनारायण व्यास**—सेक्रेटरी के विषय में आपने कहा है कि वे संस्कृत नहीं जानते जहां तक मेरा ख्याल है बी.ए. में उनके संस्कृत थी।

**श्री जसवन्तसिंह**—क्या भारत में ऐसा कोई स्थान है जहां कि सेक्रेटरी इस प्रकार के हैं?

**श्री जयनारायण व्यास**—भारत में सभी जगह ऐसा ही है।

**श्री जसवन्तसिंह**—हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत बड़े कलाकार हैं और कलाकार की तरह से सब बातों को मजाक में टालने का प्रयत्न करते हैं। सीरियस होकर एक बात का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इन बातों से काम नहीं चलेगा। क्या भारत में कोई भी ऐसा प्रान्त है, सिवाय आसाम के कि जहां पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री कॉलेजेज़ सेक्रेटरी के अन्डर में डाइरेक्टली हों? सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के एज्युकेशन सेक्रेटरी, एज्युकेशनल एवाइजर धुरन्धर विद्वान होते हैं। वे जानते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये। पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट्स सेक्रेटरीज की नहीं होती हैं, मिनिस्टर्स की होती हैं। आप मेहरबानी करके साफ बात कहियेगा। जो सच्ची बात है सच्ची ही रहेगी।

**श्री जयनारायण व्यास**—मेरे मित्र ने जवाब दिया है कि आसाम म ऐसा है इसलिये इस सवाल को और फैलाने की और सूची पेश करने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक सवाल नया पैदा कर दिया है। आपका असल सवाल यह था कि सेक्रेटरी संस्कृत जानते हैं फिर भी उसका चार्ज उनको दे दिया पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट्स मिनिस्टर्स की होती है उनके लिये किसी तरह के स्पेश्यलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती तथा एडमिनिस्ट्रेटिव अपोइन्टमेन्टस सेक्रेटरीज की होती हैं इसलिये उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में एक्सपर्ट होना चाहिये। टेक्नीकल अपोइन्टमेन्ट्स टेक्नीशिन्स की होती हैं इसलिये उनको टेक्नीकल मामलों में एक्सपर्ट होना चाहिये, इसी आधार पर काम चलना चाहिये।

आपने कहा कि मुख्य मंत्रीजी न कहा था कि काश्मीर की तरह हमारे यहां भी एम्पोरियम खोलना चाहिये। हमतो काश्मीर की तरह नहीं बल्कि अपनी तरह से एम्पोरियम खोलना चाहते हैं। बहुत सी जगह पर हमारा हुनर और हमारी कला निर्बल हो गई है और उनका कारोबार बहुत कम पड़ गया है।

[ जयनारायण व्यास ]
कुंवर साहब ने कारपेट्स की बात कही। इसमें कोई शक नहीं कि बीकानेर में सुन्दर कारपेट्स बनते थे। अब नहीं बनाने का या कम बनाने का कारण यह नहीं है कि हम बनाना नहीं चाहते बल्कि कारण यह है कि लोगों की परचेजिंग केपेसिटी कम है, इसलिये खरीददार कम हैं। जागीरदार स्वयं कुंवरसाहब जो जागीरदार हैं कारपेट के बगैर, दरियों से ही काम चलाने के विषय में सोच रहे हैं। आजकल लोग सादगी से रहना ज्यादा पसन्द करते हैं। लग्जरी में कम पैसा खर्च करते हैं और चाहते हैं कि जितना कम पैसा खर्च किया जाय उतना ही अच्छा है। धीरे २ लोगों की प्रवृति सादगी की ओर हो रही है इसलिये कारपेट्स का उत्पादन कम हो रहा है, इसलिये नहीं कि हम माल निकालना नहीं चाहते। मैं कुंवर साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप हरेक मेम्बर के लिये ऑर्डर दिला दीजिए कि ४०-४० का एक कारपेट प्रत्येक के लिये तैयार करवाया जाय, मैं तैयार करवा दूंगा. . . .

**श्री जसवन्तसिंह**—आप एक साल के लिये जागीरें न लें तो हम कारपेट खरीद लें।

**श्री जयनारायण व्यास**—आप कारपेट के साथ जागीरों के सवाल को मत मिलाइये, जागीर के सवाल को तो सदन के फर्श पर ही रखिये, कारपेट पर नहीं।

आपने दूसरी बात कही कि कपड़े, दरियें आदि नहीं बनतीं। कुछ कुछ बनती हैं कुछ नहीं भी बनती हैं और कुछ कुछ कम ज्यादा बनती हैं, जैसी खपत होती है उसी माफिक बनती हैं। हम तो यह चाहते हैं कि न सिर्फ जेलों में ही बल्कि हमारे यहां दूसरे स्थानों पर भी जो चीजें बनती हैं उनको हम कन्ज्यूम करें ताकि स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिले। आपने महाराजा गंगासिंह जी द्वारा बीकानेर से इंगलेंड कारपेट ले जाने का हवाला दिया और कहा कि उसे सनाख्त नहीं कर सके कि वह कहां पर बना हुआ था। ऐसा अमूमन होता है कि ऐसी अच्छी चीजें बनती हैं कि उनको सनाख्त करना मुश्किल हो जाता है कि ये यहां की बनी हुई हैं। अब भी हमारे यहां जो चीजें बनती हैं वे इंगलेंड, अमेरीका और दूसरी जगहों पर जाती हैं। हमने एक एग्जीवीशन दिल्ली में किया था। वह बडा सुन्दर एग्जीवीशन था। मैं आपके जरिये बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारी कपड़े की चीजें, ऊन की चीजें बर्तन, चमड़े की चीजें आदि को न केवल हिन्दुस्थान वालों ने ही पसन्द किया बल्कि उनको विदेशी एम्बेसेडर्स ने भी पसन्द किया है। साकडा के केन्द्र में जो नये प्रकार के कंबल बने हैं उनको कई एम्बेसेडर्स ले गये हैं। चूंदडी हमारे यहां की फोरिन (foreign) एम्बेसीज में गई है। चूंदडी को बहुत लोगों ने पसन्द किया है। पुरानी तर्ज की छींटों को, जिनको हम ग्रामीण कह कर छोड देते हैं, उनको भी बाहरवालों ने पसन्द किया है। उत्थान और पतन सब का आता है। यह मुमकिन है कारपेट का उत्थान नहीं है वह नीचे जा रहा है। चूंदडी का उत्थान अब हो रहा है। वह सब के सिर पर चढ़ेगी। पीतल के बर्तनों का भी उत्थान हो रहा है। बीकानेर की ऊन भी काफी तरक्की कर रही है। यदि वाम पक्ष की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा तो हम काफी उत्पादन करेंगे। बीकानेर के लिये ५ लाख रुपये बजट में रक्खे गये हैं। वहां की कला कौशल की उन्नति के लिये हम हर तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। जो प्रवृत्ति हो रही है वह अच्छी हो रही है। जितनी तेजी से दिमाग चलता है उतनी तेजी से शरीर परिस्थिति वश नहीं चलता। स्वराज्य के बाद दिमाग तेज होता है पर परिस्थितियें शरीर को निर्बल कर देतीं हैं पर आखिर में जिस

# Page No.43



[श्री जयनारायण व्यास]
तरह से दिमाग बढ़ता है उसी तरहसे हमारा काम भी चलेगा और हम कल्याणकारी राज्य के लक्ष की ओर पहुंचेगें ।

मैं आशा करता हूं कि इस बिल को आप पास करेंगे और सहयोग देकर जिस तरफ कमी रह गई है, कसर रह गई है उस कसर को निकालने (पूरी करने) में सरकार को सहयोग देगें ।

श्री अध्यक्ष—So the question is that the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the service of the year ending on the 31st day of March, 1954, be taken into consideration.

(मतदान के पश्चात्)
"हां" पक्ष जीता

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—'Noes' have it sir.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—'Ayes' have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—'हां' पक्ष जीता ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—'Noes' have it, Sir.

श्री अध्यक्ष-Division ? If you want division you have it at the third stage. We are coming to that.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष-Shri Gopi Lal Yadav has put an amendment for the varying of the figures of the Bill. As I had previously observed that according to Article 204 (2) I do not accord sanction to this amendment and as such I reject it. So there is no amendment and the motion has been moved that the Bill be passed. I put the question.

The question is that the Bill be passed.

(मतदान के पश्चात्)
'हां' पक्ष जीता ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह— Noes' have it, Sir.

श्री जयनारायण व्यास—'Ayes' have it Sir.

श्री अध्यक्ष—You want division by lobbies or.. .. ..

**श्री संतोषसिंह**—By Lobbies, Sir.

**कुंवर श्री जसवन्तसिंह**--By Lobbies, Sir.

(विभाजन की घंटी बजने के पश्चात्)

**श्री अध्यक्ष**—The question is that the Bill be passed.

( मतदान के पश्चात् )

**कुंवर श्री जसवन्तसिंह**--'NOES' have it, Sir.

**श्री अध्यक्ष**—'हां' पक्ष जीता । (विराम) The Bill is passed..

He perhaps wants all those going to lobbies to be present in the House.

**कुंवर श्री जसवन्तसिंह**—The amount of the trouble that has to be taken in coming from the lobbies is sufficient and so with the trouble we happily pass the Bill.

**श्री मथुरादास माथुर**—This applies to both sides.

**राजस्थान निष्क्रांत हित (पार्थक्य) आपूरण विधेयक, १९५३**

**श्री अध्यक्ष**—Yes, Shri Amritlal Yadav.

**श्री अमृतलाल यादव**–माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि निष्क्रान्त हित (पार्थक्य) अधिनियम, १९५२ के कुछ प्रावधानों को आपूरण करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जावे ।

**श्री अध्यक्ष**–Motion moved, "That the Bill to supplement certain provisions of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951, be taken into consideration."

**श्री अमृतलाल यादव**–माननीय अध्यक्ष, इसके शीर्षक के प्रारम्भ में राजस्थान शब्द और बढ़ा दिया जाय। अब यह इस प्रकार होगा कि "राजस्थान निष्क्रान्तहित (पार्थक्य) अधिनियम, १९५२ के कुछ प्रावधानों को आपूरण करने वाला विचारार्थ लिया जाय ।

**श्री अध्यक्ष**—I think there is nobody who wants to discuss the consideration of the Bill. So I put the question.

(विराम)

The Question is that the Bill to supplement certain provisions of the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

**श्री अध्यक्ष**—श्री अमृतलाल यादव ।

**श्री अमृतलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, यह राजस्थान इवेक्युई इन्टरेस्ट (सेपेरेशन) सप्लीमेन्टरी बिल, १९५३ है । इसमें एक झगड़ा उपस्थित होता है कि जहां कि एक मकान अथवा एक स्थान के उत्तराधिकारी या मालिक दो हों और बिना किसी कारण से जब तक इसके लिये कोई कानून न होवे अलग नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये भारतीय संसद ने इस बिल को २७ सितम्बर १९५१ को संसद में पास किया था और इसकी स्वीकृति ३१ अक्टूबर, १९५१ को हुई थी ।

**श्री अध्यक्ष**—I do'nt understand what do you want to speak ? I want to draw your attention to Rule 146, which runs as under "When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the bill is made, the member-in-charge may at once move that the bill be passed."

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—But if he does not want to move that ?

**श्री अध्यक्ष**—He is making an irrelevant speech and I want to draw his attention to that.

**श्री अमृतलाल यादव**—मैं पहले इस पर प्रकाश नहीं डाल सका था ।

**श्री अध्यक्ष**—But it is not appropriate time to throw light over it.

**श्री अमृतलाल यादव**—यह राजस्थान इवेक्यूई इन्टेरेस्ट (सेपेरेशन) सप्लीमेन्टरी बिल १९५३ पास किया जावे ।

**श्री अध्यक्ष**—The Question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

**भोलानाथ**—The Bill is passed.

(विराम)

## राजस्थान तमाखू विक्रेता अनुज्ञा विधेयक, १९५३

**श्री भोलानाथ**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्मित तमाखू फुटकर विक्रय का आनियमन करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जावे ।

(श्री उपाध्यक्ष १० बजकर १८ मिनिट पर पदासीन)

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Mr. Deputy Speaker, Sir, if there is no general discussion on this Bill, I may be permitted to place my amendment,

श्री उपाध्यक्ष—You move your amendment. Motion has already been made for the consideration of this Bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My amendment relates to the motion that is now before the House.

श्री खेतसिंह—On a point of order, Sir. श्री व्यासजी का अमेन्डमेन्ट हमारे पास आया नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—If my friend may keep patience, my amendment relates to the motion itself, which has been moved.

श्री उपाध्यक्ष—His amendment has just been received. I have allowed it to be moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So I move that the Bill be Circulated for eliciting public opinion.

माननीय उपाध्यक्ष...

श्री जयनारायण व्यास—If he (shri Bholanath) accepts the suggestion, is a speech necessary?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have not follwed, Sir.

श्री खेतसिंह—Is it necesssary to allow you to speak?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, I am unable to follow what is being said. I want to speak?

श्री उपाध्यक्ष—In favour of Circulation.

श्री जयनारायण व्यास—Right then. Let him speak.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे यह नहीं समझ में आया कि इस बिल पर जो मोशन माननीय मंत्रीजी ने मूव किया है उसके बाद मैंने अपनी जो तरमीम रक्खी उस तरमीम के पक्ष में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ तो यह इतनी हलचल कैसे पैदा हुई?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे माननीय सदस्य समझ नहीं पाये। हमारा विचार था कि आपने जो तरमीम रक्खी है उस पर हम लोग आपस में विचार कर लेते लेकिन चूंकि माननीय सदस्य इसे पसन्द नहीं करते तो बोल लें। इस बीच में हम कन्सीडर कर लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसके ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स (Objects and Reasons) की तरफ अगर आप गौर फरमायें तो एक बहुत ही दिलचस्प और महत्व पूर्ण बात इसके अन्दर आप पावेंगे और वह यह है

".. .. .. The main object of the Bill is to raise taxation.. .. .."

बिल के उद्देश के सिलसिले में जहां जिक्र किया है वहां यह कहना है कि हम तमाखू जैसी वस्तु की खरीद फरोख्त को रेगुलर (नियमित) करना चाहते हैं यानि इसके बारे में कुछ पाबन्दियां लगाना चाहते हैं, दखल करने के सिलसिले में कानून बनाना चाहते हैं; लेकिन स्टेटमेंट ऑफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स में इसका उद्देश्य बताया गया है कि कैसे वसूल किया जाय।

मैं पब्लिक ओपिनियन (जन-मत) के लिये रेफर करने के पक्ष में खड़ा होकर जो कह रहा हूं वह महज इसलिए कि जैसा सरकार अमूमन करती है इस बात पर भी वह जगलरी के तरीके से लोगों को भुलावे डालकर दर असल चाहती है आमदनी करना। वह कर वसूल करना चाहती है। वह यह चाहती है कि लाइसेंस के नाम पर लाखों रुपया मामूली लोगों से वसूल किया जावे। लेकिन दिखावा यह किया है कि तमाखू जैसी वस्तु की खरीद फरोख्त पर कन्ट्रोल करना चाहती है, पाबन्दियां लगाना चाहती है। मैं यह नहीं समझ पाया माननीय अध्यक्षजी, कि तमाखू जैसी चीज पर और उससे मेन्यूफेक्चर्ड आर्टिकल्स पर चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगार हो: चाहे जो भी वस्तु हो रोक थाम करने की बात कैसे की जा रही है ? ऐसी क्या चीज है कि जो यह तमाखू खतरनाक चीजों में गिनी जा रही है और जिसके देखभाल की आवश्यकता आ पड़ी है इस सरकारके सामने आखिर यह तमाखू और तमाखू से बनी चीजों की रिटेल सेल के लिये छोटे छोटे गांव और मोहल्लों में बेचने के लिए, छोटे छोटे ठेलों पर बेचने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता ही क्यों पडी ?

यदि आप इस कानून की तह में जावेंगे तो यह बात बिल्कुल साफ हो जावेगी कि ऐसे कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है; सिवाय इसके कि पैसा बटोरने की इच्छा है सरकार की। नहीं तो राजस्थान के हर शहर में सैंकड़ों ही दुकानदार छोटे हैं, बडे हैं; जो तमाख या तमाखू से बनी जो चीजें हैं बेचते हैं। रिटेल में उन पर यह बोझा सरकार क्यों डाल रही है ? सच बात तो यह है कि छोटे छोटे ठेले रखने वाले सैंकडों लोग ऐसे हैं, जिनके व्यापार की लागत पचास-सौ रुपये से ज्यादा नहीं होगी; वे इतने से रुपयों से किसी तरह अपनी आजीविका कमाते हैं, ठेले में रखकर बेचने की कोशिश करते हैं। उनसे ही सरकार पचास-सौ रुपया जो भी लागत होगी; लाइसेंस की फीस लेना चाहती है।

मैं पूछता हूं कि आज सरकार के लिए ऐसा कौनसा खतरा पैदा होगया है, कौनसी परिस्थितियों के अन्दर जबर्दस्त आवश्यकता हो रही है कि सरकार को यह बिल लाना पड़ा। इस प्रकार के छोटे छोटे दुकानदार जो रिटेल में बेचते हैं उनसे सरकार को कौनसे भयंकर नुकसान होने का खतरा पैदा होगया है या कौनसा कोहराम मच जाने वाला है जिससे सरकार की ओर से इस तमाखू के रिटेल बेचने पर पाबन्दियां लगानी पडीं।

[हरिकृष्ण व्यास]

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बात तो केवल दिखावे मात्र के लिए की गई है कि सरकार इस व्यापार की देखभाल करना चाहती है। हो सकता है कि कुछ देखभाल करने की जरूरत महसूस कर रही हो; पर असल उद्देश्य तो यह है कि आमदनी पैदा की जावे। इसलिए में पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

अब में उस पहलू पर आपको दो शब्द कहना चाहूंगा कि जिसका ताल्लुक इस बात से है कि अगर यह बिल पास हो गया तो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा।

सरकार ने इस बिल में कभी भी यह अन्दाज नहीं बताया कि वह कितना रुपया लाइसेंस की फीस का रखना चाहती है। प्रोवीजन यह इसलिये रखा गया है कि आगे चलकर जब सदन से यह पास हो जावेगा तो रूल्स बनाते समय यह रख दिया जावेगा कि पचास-सौ, दो सौ ; जितना भी चाहे रख दिया जा सकता है। वह रकम कितनी भी फिर क्यों न हो। इसको मुकर्रर करने का अधिकार सरकार अपनी जेब में रखना चाहती है। सरकार सदन के सामने इसको भी लाना चाहती नहीं है। इस पर विचार करने का मतलब होगा कि कल जाकर ऐसे रूल्स सरकार बनावेगी कि जो भी तमाखू या तमाखू से बनी वस्तुओं का क्रय-विक्रय करता है रिटेल में या होल सेल में उसे लाइसेंस लेना पडेगा और सौ रुपया, दो सौ रुपया या जितना भी सरकार चाहे वह फीस का रुपया, उस रकम को सरकार के पास जमा कराना होगा।

मैंने अभी जिक्र किया कि इस प्रकार की चीजों के बेचने वाले जो लोग हैं उनमें से ८० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी शायद २००-५०० रुपया से अधिक पूंजी न लगी हो। मामूली दुकानदार, ठेलेवाले हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से दो सौ, चार सौ रुपया इकट्ठा कर अपनी आजीविका कमाने का एक जरिया निकाला है। यह बिल जो लाया गया है उसका मकसद यह है कि सरकार के पास पैसे की आवश्यकता है। जो साल में लाखों-करोडों रुपया कमाते हैं उन लोगों से पैसा लेने की सरकार आवश्यकता नहीं समझती किन्तु जो लोग आम जनता को पद दलित करने वाले हैं, तिजोरियां भर रहे हैं, जैसे हीरालाल पाटणी को ७२ हजार की मन्जूरी करके तीन दिन में ही उस रकम को उन्हें दे दिया गया है। उनसे पैसा सरकार नहीं ले सकती। २००-४०० रुपयों की पूंजी से अपना मामूली खर्चा जो निकाल लेते हैं उनसे यदि लाइसेंस की तौर ५०,१०० या दो सौ रुपया लेलें तो क्या उनसे जो रुपया मिलेगा उससे खजाना भरकर क्या सरकार वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है। माननीय मंत्री गण और मुख्य मंत्री जो लगातार आठ दिनों से यह कहते आरहे हैं और भाषण पर भाषण करते जा रहे हैं कि हम कल्याणकारी राज्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो क्या वे हीरालाल पाटणी को ७२ हजार रुपया जो मन्जूर किया जाचुका है जो गैर वाजिब तरीके से मन्जूर किया गया है उनसे वह रुपया न लेकर क्या आप ५०)-१००) रुपया लाइसेंस की तौर पर इन गरीब दुकानदारों से लेकर वेलफेयर स्टेट बनाने का इरादा रखते हैं ?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, में दो तीन मिनट और लूंगा। इस तरह से तमाखू के छोटे व्यापारियों और ठेलेवालों से लाइसेंस के नाम से हजारों रुपया वसूल किया जायगा।

[ हरिकृष्ण व्यास ]

अन्त में तीसरी चीज जो अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल को पास हम करके खुले आम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस अफसर को इसमें यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी लाइसेंसदार को या तमाखू बेचने वाले किसी भी आदमी को रास्ते चलते या मनमाने ढंग से मकान में तलाशी लेने के लिए, गोदाम में तलाशी लेने के लिए पुलिस अफसर जा सकेगा और अपनी हिरासत में बिना वरान्ट के उसे ले सकता है। इस तरह से टेक्नीकल ब्रीच के कारण तरह तरह की जालसाजियां जारी होंगी। जो अफसर इस काम के लिए मुकर्रर होगा वह रास्ते चलते आदमी को धमकी देगा, कानून के द्वारा वह वाध्य करेगा कि वह उसे रिश्वत दे नहीं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इस तरह से बड़ी तादाद में मुकदमें चलेंगे। इस तरह से छोटे छोटे ठेलेवाले जो मुश्किल से दिन में दो-तीन रुपया कमा सकते हैं उन पर यह लागू होगा। इससे भ्रष्टाचार फैलेगा और इस भ्रष्टाचार को पनपाने की, इस कानून को लागू करके कार्यवाही की जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार इसे आवश्यक समझती है तो पब्लिक ओपीनियन के लिए जनता में इसको भेजा जाय; जिनके वोट लेकर आप और हम लोग यहां आये हैं और उन लोगों की राय आने पर उनके मुताबिक कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार छोटे छोटे आदमियों की जेब से यह जो चोरी करके टैक्स लिया जाता है, नहीं लिया जाना चाहिये। इसलिए मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि इस बिल को जनता की राय के लिए भेजा जाय।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री एच. के. व्यास ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है कि पब्लिक की राय के लिये यह बिल भेजा जाय, इसके लिये मेरा निवेदन है कि पब्लिक कभी इसके लिये राय नहीं देगी। पहले जो काश्तकार तमाखू बोते थे उस काश्तकार के ऊपर इतने टैक्स सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने लगा दिये; फिर उसके बाद राजस्थान गवर्नमेन्ट इन काश्तकारों में, लाइसेन्स बना कर लाइसेन्स के जरिये इनसे रुपये वसूल करना चाहती है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा यह कहा जाता है कि सारे राजस्थान में काश्तकारों के लिये हम सुविधा करते हैं; लेकिन आज न तो केन्द्रीय सरकार इन काश्तकारों की ओर ध्यान देती है और न प्रान्तीय सरकार ही। एक काश्तकार बीस सेर से ज्यादा तमाखू पैदा करदेता है तो इसके लिये रिश्वतें अलग ली जाती हैं, उसको परेशान अलग किया जाता है; और मुकदमा चलाया जाता है वह अलग। इस तरह से मुकदमा बना करके काश्तकार को बरबाद किया जाता है। इसलिये तमाखु बोने के लिये काश्तकार तैयार नहीं होते। तमाखू के ऊपर अनेक प्रकार के टैक्स लगने के कारण काश्तकार लोग तमाख बोने से महरूम कर दिये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि जो लाइसेन्स बनाये जायेंगे उसकी फीस क्या होगी; यह इस बिल में नहीं बताया गया है। लाइसेन्स बनवाने में कितनी रिश्वत ली जायगी और लाइसेन्सदारों को कितनी कठि-नाइयां उठानी पड़ेगी वह तो अलग रही। अनाज का लाइसेन्स बनवाने के लिये जिस प्रकार रिश्वतें ली जाती हैं उसी प्रकार इसके लिये भी रिश्वतें ली जायेंगी। अनाज के लाइसेन्स की फीस पहले तीन रुपया थी, बाद में ६) रुपया की गई, फिर १२) रु० और आजकल २५) रु० लाइसेन्स फीस ली जाती है। इसी तरह से राजस्थान सरकार पहले तो इस तमाखू लाइसेन्स के लिये थोडी फीस लगायेगी और फिर बढाते-बढाते वह ज्यादा पैसा लेने लगेगी। इस तरह से इसके लिये रिश्वत तो अलग देनी पडेगी

[ श्री मक्तिलाल मोदी ]

और इसके लिये यहां आने-जाने का जो खर्चा होगा वह अलग से होगा। इस तरह से एक छोटे खुदरा व्यापारी को कितना बरबाद होना पडेगा, इस लाइसेन्स को लेने के लिये; यह कोई नहीं सोचता। इस तरह से राजस्थान सरकार नित्य नये टैक्स लगाती जा रही है, सेल्स टैक्स लगा रही है, और इस तरह से जो गरीब लोग तमाखू बेचते हैं और जिनका जीवन इस तमाखू बिक्री के पीछे चल रहा है उन पर टैक्स लगा कर राजस्थान सरकार उन लोगों पर अन्याय कर रही है। इस तरह से जो गरीब लोगों पर टैक्स लगाया जायगा उस पैसे से जितनी आमदनी होगी उससे अफसर रखे जायेंगे और वे चाहे जिसे पकड सकेंगे, उन पर मुकदमे चलाये जायेंगे। उन गरीब लोगों को कितनी परेशानी होगी; यह सारी दिक्कतें देखते हुए जो बिल हाउस के सामने है उसे पास न किया जाना चाहिये। मिनिस्टर महोदय या तो इसे वापिस ले लें या इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जावे।

आज राजस्थान सरकार नित्य प्रति नए २ टैक्स लगा रही है, जब कि कम किये जाने चाहिये। राजस्थान गवर्नमेन्ट जो बड बडे खर्च करती है उन खर्चों को कम नहीं किया जाता है, और ऐसे टैक्स लगा कर, जो बडे खर्चे हैं उनका पालन पोषण किया जाता है। आज गरीब जनता हाहाकार कर रही है। आज हमारे सामने नाज की समस्या है, कपडे की और अन्य चीजों की समस्याएं हैं, जनता नंगी और भूखी है। अब तक यह तमाखू पर टैक्स बचा हुआ था उसको भी राजस्थान गवर्नमेन्ट और वसूल करना चाहती है। इसलिये माननीय मन्त्रीजी से यह प्रार्थना है कि ऐसा टैक्स नहीं लगायें, और इस बिल को पास नहीं करें या तो इस बिल को जो हाउस में पेश किया गया है उसे वापिस ले लेवें। अन्यथा इसे पब्लिक के सामने रखने की कृपा करें कि पब्लिक की क्या ऑपीनियन आती है; ऐसी मेरी राय है।

**श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)**—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं श्री एच. के. व्यास के इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं कि इस बिल को पब्लिक ऑपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाय। मेरा खयाल है कि यह एक बडा ही घातक बिल है। इसके अन्दर यह जो दिखाया गया है कि जो लोग तमाखू की काश्त करते हैं और उसको अगर इधर उधर करते हैं तो उनको लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात को दिखाने की आढ में सरकार यह करना चाहती है कि उनके सप्लाई के अफसरान जिस प्रकार अनाज और दीगर चीजों के मामलों में गांवों में जाकर ५००)-५००) रुपये कमा कमा कर लाते हैं, उसी प्रकार अब एक नई जडी बूटी उन लोगों के लिये तैयार करें जो गांवों में जांय और गरीब जनता को लूट लूट कर लायें।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि आप काश्तकारों या जो भी आदमी तमाखू को बोते हैं उनको इस बिल से मुक्त कर देते हैं तो भी इस बिलका असर हर गांव पर होगा। हरेक गांव, जहां कहीं भी आप जायेंगे तो यह देखेंगे कि जो भी रिटेल डीलर ( retail dealer ) वहां पर होगा उसकी दुकान के अन्दर बीडी-सिगरेट अवश्य मिलेगी। आपके इस बिल से क्या होने वाला है? या तो यह चीज होगी कि छोटे से गांव के अन्दर एक महीने में ३) या ४) रुपये की जो दुकानदार बीडी-सिगरेट बेचता है, वह बीडी-सिगरेट रखना छोड देगा और अगर वह यह रखेगा तो उसे इतना भारी टैक्स सरकार को देना पडेगा, जो इसके लिये

[ श्री मानसिंह महार ]

बडा ही घातक सिद्ध होगा। इस टैक्स का नतीजा यह भी होगा कि गरीब जनता इस टैक्स के कारण बीडी सिगरेट के खर्चे के भार से ही दब जायगी क्योंकि गरीब जनता जो इसको प्रयोग में लाने की आदी है उसे खरीदने जायगी तो उसका जो अधिक पैसा देना पडेगा। इसलिये मैं आपके जरिये सदन को यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही घातक बिल है और इसको पास करने से पहले आपको ग्रामीण जनता की राय लेना बहुत ही आवश्यक है। यह कहा जायगा कि इस पर हम तो टैक्स बहुत थोडा लगाते हैं। आप टैक्स थोडा लगाइये, चाहे ज्यादा लगाइये पर गांव की जनता पर इसका बडा भारी प्रभाव पडेगा। किसी किसी गांव में सिर्फ एक दुकानदार ही होता है और यदि वह महीने में १० रुपये या १२ रु० की बीडी सिगरेट बेचता है तो उस पर अगर २ रुपया सालाना आप टैक्स ले लेते हैं तो वह उसके लिये बहुत भारी हो जाता है। और अगर वह दुकानदार गांव के अन्दर इस प्रकार से बीडी-सिगरेट नहीं रखेगा तो गांव वालों को बहुत बडी दिक्कत हो जायगी, क्योंकि किसी गांव के अन्दर किसी के घर में कोई बीडी पीने वाला रात को ९ बजे पहुंचता है तो उस समय गांव वाले भाग कर अपने अतिथि के लिये बीडी सिगरेट उस दुकानदार से ले आता है, लेकिन यह बिल पास हो जाने के बाद में गांव के छोटे दुकानदार तो इन चीजों को रखना ही छोड देंगे। जब वह रखना छोड देंगे तो, हमारे मिनिस्टर महोदय के पास तो मोटरें हैं वे तो मोटरों में अपने नोकर को भेज कर सब्जी मण्डी से तरकारी भी मगवा सकते हैं, लेकिन उन ग्रामीणों के पास तो, बेचारों के पास, मोटरें या और कोई साधन तो है नहीं, न गांव में किराये से रिक्शे वगैरह मिलते है जिससे लोग रिक्शों में बैठकर ५ मील जाकर बीडी-सिगरेट ले आयेंगे। उनके लिये तो ५-७ मील अन्धेरी रात में जाना होगा; तब जाकर अपने अतिथि के लिये बीडी-सिगरेट खरीद कर लाना पडेगा। तो यह गांव वालों के लिये बडी भारी दिक्कत की चीज हो जायगी। इस छोटे से बिल के लिये मैं सदन के उस पक्ष के मेरे दोस्तों से भी अपील करूंगा जो कि गांवों में रहते हैं, जो गांवों की दिक्कतों को जानते हैं और खुद भी इन दिक्कतों में आ सकते हैं वक्त पडने पर उनसे खास कर अपील करूंगा कि यह तो बिल एक शहरी लोगों का बिल है। शहर के लोग क्या जानें कि गांव वालों को क्या क्या दुख दर्द हैं। तो उनको शहरियों का विरोध करना है इस बिल को लेकर। इसमें यह नहीं करना है कि साहब यह सरकारी पक्ष की ओर से बिल आया है इसलिये हमको समर्थन करना है या विरोधी पक्ष का हूं इसलिये विरोध करना है, लेकिन इस बिल पर गांव वालों का शहर वालों से झगडा मानता हूं। और आप जितने भी भाई हैं जो गांव वालों की बेहबदी चाहते हैं, जो लोग गांव वालों का भला चाहते हैं उनसे अपील करूंगा कि वह इस बिल का विरोध करें। यही नहीं सरकार अगर वाकई में यह समझती है कि इस बिल का गांव वालों पर असर नहीं होने वाला है तो इस बिल को पब्लिक ओपीनियम के लिये भेजना चाहिये और फिर सरकार को मालूम होगा कि वास्तविकता क्या है। हमारे मिनिस्टर महोदय जो हैं, वे यहां राजधानी में बैठे रहते है उनको मालूम नहीं है कि गांव वालों को क्या दुख-दर्द है। अगर यह बिल अंग्रेजों के जमाने में या हमारे राजाओं के जमाने में आता तो शायद वे उछल-उछल कर इसका विरोध करते, लेकिन आज सत्तारूढ हो जाने के बाद उन्होंने गांव वालों की तरफ से आंख मींच ली (बन्द करली) है। मैं हमेशा से यह कहता आया हूं कि यह सरकार जो कुछ करती है वह शहर वालों के लिये करती है और इस प्रकार यो सरकार शहर ही शहर वालों

[ श्री मानसिंह माहर ]
को देखती है वह सरकार, एक दिन आयगा जब कि वह जनता का विश्वास खो बैठेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता ग्रामीण जनता ज्यादा है और शहरोंकी कम। इसलिये ४ साल बाद लम्बी निगाह से ध्यान देने की बात को लेकर मिनिस्टर महोदय से यह अपील करूंगा कि इस बिल को अगर बाइज्जत वापिस लेलें तो अच्छा होगा और अगर वापिस लेने के लिये तैयार नहीं हैं तो पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यही नहीं मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यह गांव वालों और शहर वालों का पहला मुकाबला है और अगर सरकार गांव वालों की इस प्रकार से अवहेलना करेगी तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, और गांव गांव के अन्दर जिस प्रकार से सौराष्ट्र में सेलटैक्स का विरोध हुआ था उसी प्रकार से इस टैक्स का भी विरोध होगा, और फिर सरकार को शायद अपने हाथ खून से रंगना पडे। इस खून खच्चर से बचने के लिये मिनिस्टर महोदय को यह बिल वापिस ले लेना चाहिये। यह कह कर मैं मेरे मित्र एच. के. व्यास के इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाय और फिर इसके बारे में विचार किया जाय।

**श्री ईश्वरीसिंह**–माननीय उपाध्यक्ष, जो बिल दिया गया है उसके बारे में मैं भी आप लोगों को कहूं क्योंकि हर वक्त यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में लोगों को इमानदार बना दिया जावे, इमानदार बनाने का कोई कानून बना दिया जावे। इमानदारी के बारे में मैं तमाखू के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, एक मिसाल देकर बताऊंगा कि हमारे यहां पेंआ नाम का गांव है। उसमें पहले किसी दूसरी चीज की खेती के बाद वहां के लोगों ने तमाखू बोई। तमाखू उनको कोई ४-४ सेर आई होगी। मगर रिश्वत न देने पर उन लोगों को ४-४ सेर तमाखू के टैक्स के ७५), ७५) रुपये देने पडे। इसलिये ऐसा बिल बनाया जावे जिससे बेईमान और ईमानदार का पता चल सके। क्योंकि इस प्रकार के क्लॉज और बिल लाने से तो रिश्वत ज्यादा होगी। अगर सरकार यह चाहती कि तमाखू की कमी की जावे या तमाखू होनी ही नहीं चाहिये तो इस प्रकार का कानून बना दे ताकि तमाखू पैदा हो ही नहीं। उनके पौधे जला दिया जाने चाहिये ताकि पैदा ही नहीं हो और न लोग रिश्वत लें। होता है आज कल यह कि "न तो माली के नीपजे न राज के जाय"। न तो मालिक के कुछ फायदा रहता है न राज में पैसा जाता है। लोग ही रिश्वत में खा जाते हैं। आज जो भी लोग हुकूमत में है वे अच्छी तरह से लखपति बन गये हैं। जो लोग १२ महीने तक हाकिम बने रहे चाहे वे छोटे से छोटे ओहदे पर रहे मगर सब मालदार बन गये। इसलिये मैंने जो बातें कही है उनका ध्यान रखा जावे। बस इतना कह कर बैठ जाता हूं।

**श्री खेतसिंह**–माननीय उपाध्यक्ष, मैं, अभी मेरे मित्र, श्री एच. के. व्यास ने जो कहा है उसके विरोध में बोलने के लिये खडा हुआ हूं। इसमें मेरी समझ में यह नहीं आया कि वे इस नक्शे को क्यों बढाना चाहते हैं। क्या वे यह चाहते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है उससे भी ज्यादा गिर जाए? सारे राजस्थान में नशेबाज ही रह जावें? तमाखू को बढावा देना नशे को प्रोत्साहन देना है और जो लोग इसमें सहानुभूति रखते हैं उनके लिये मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों ने उनको वोट दे कर भेजा है, उन्होंने उनको भेजने में गलती की है। मेरे एक मित्र ने यह कहा कि यह गांव की जनता और शहर

# Page No.53



[ श्री खेतसिंह ]

की जनता का पहला मुकाबला है। मगर मैं तो यह कहूंगा कि आपको इस बात के लिये खुशी होनी चाहिये और आपको गांवों में प्रचार करना चाहिये कि वे तमाखू का प्रयोग ज्यादा न करें। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आपकी खुराक बढ़े या जिसको पीने से आपको शक्ति पैदा होती है। यह तो एक नशा है।

**श्री एच. के. व्यास**—ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इनफॉरमेशन, सर, तमाखू नहीं होगी तो चिलम कैसे भरी जायगी।

**श्री खेतसिंह**—यह सच है कि चिलम तमाखू से ही भरी जाती है। मगर अब हमें चिलम को उलटी कर देना होगा, यही अच्छा होगा। जल्दी से जल्दी यह कोशिश की जावे कि चिलमें कम हों। इसलिये मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हम सब शामिल होकर राजस्थान के उत्थान के लिये कोशिश करें। इसके लिये आपको अपोज करना चाहिये था, न कि अमेन्डमेन्ट लाना चाहिये था जिसमें सिर्फ यह कहा गया है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्यूलेट किया जावे। मैं यह कहूंगा कि पब्लिक का कोई आदमी अगर शराब पीता है और उसको यह कहा जाये कि शराब बन्द क्यों नहीं कर दिया जाए तो वह उसका अवश्य विरोध करेगा। वे लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। मगर आपको पब्लिक ने यहां चुन कर इसीलिये भेजा है कि आप उनके हितों का ध्यान रखें। इसलिये मेरी तो आपसे यह अपील है कि इस बिल को अवश्य लिया जाना चाहिये और पास किया जाना चाहिये; लेकिन इसके जो क्लाजेज हैं उनमें जरूर एमेन्डमेन्ट होने चाहिये थे। हम यह कह सकते हैं कि लाइसेन्स फी का कोई क्लाज नहीं रखा गया है कि कितनी फीस ली जावेगी। अगर यह मालूम होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसके अलावा गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में जो पावर्स रखे हैं उसके लिये भी हमारा ध्यान होना चाहिये था मगर यह कहना कि इस बिल को पास नहीं किया जाये, इस बिल को लेना ही नहीं चाहिये क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बातें बताई हैं उनके बाद श्री एच. के. व्यास अपने एमेन्डमेन्ट को वापिस ले लेंगे।

**महाराज श्री केसरीसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, श्री एच. के. व्यास ने अभी जो एमेन्डमेन्ट आपके सामने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और कुछ शब्द इस सम्बन्ध में मैं भी सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

तमाखू एक ऐसी वस्तु है जो आम जनता के काम में आती है और इसका असर सब पर पड़ता है, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर। कोई भी हो, पर तमाखू एक ऐसी वस्तु है जो काश्तकारों का सहारा है और काम करते करते वे थक जाते हैं तो उस समय आराम यही देने वाली है। जब वे काम से थक जाते हैं तो तमाखू पीने लग जाते हैं और इससे किसानों को और उनके बैलों को आराम मिल जाता है। इसलिये तमाखू पर कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं। फिर आप ही देखिये कि जिन शख्सों पर टैक्स लगेंगे वे हैं छोटे-छोटे फुटकर सौदा बेचने वाले। जिनका पेशा यह होता है वे गांव-गांव

[ महाराज श्री केसरीसिंह ]

जा कर अपना सौदा बेचते हैं और उसी पर उनकी रोजी चलती है। अगर सरकार इस पर टैक्स लगा देती है तो उनकी रोजी चली जाती है और उनको भूखों मरने की नौबत आ जावेगी। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि सदन को कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिये जिससे आम जनता को नुकसान हो और अगर बनाना ही है तो इसके पास करने के पहले इसको आम जनता की राय के लिये सर्क्युलेट करना चाहिये।

**श्री किशनलाल शाह**—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल पर जो वादविवाद हुआ उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न के साथ घुला मिला कर कन्फ्युजन पैदा कर दिया गया है। प्रश्न था तमाखू के लिए लाइसेंस का। एक कानून को किसी के अख्त्यार में करने से उस कानून के अमल में जो गड़बड़ियां और खराबियां होती हैं उनको, इसके साथ मिला कर यह कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया।

यह प्रश्न पैदा होता है कि जब शासन की मशीनरी ऐसी है कि जो कोई भी कानून उसके जरिये जनता पर प्रतिबंध लगाता है उसके बनाने का आशय या उसका परिणाम उस मशीनरी से गड़बड़ियां पैदा करने वाला हो, भ्रष्टाचार फैलाने वाला हो तो उस मशीनरी को पहले ठीक किया जाय और कानून बना दिया जाय और उस कानून के दौरान में जो गड़बड़ियें हों उनको खत्म कर दिया जाय।

मैं कुछ हद तक मानने को तैयार हूं जब तक मशीनरी ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई कानून सफल नहीं होने वाला है और न होगा ही। फिर भी यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसके लिए पहले इस मशीनरी को दुरुस्त किये बगैर इसे स्थगित रखा जा सकता हो।

मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई ऐसी उलझन नहीं है। इसके साथ तीन प्रश्न खड़े होंगे। एक तो यह होगा कि मध्यम श्रेणी के जो व्यापारी हैं उनके व्यापार में ठेस पहुचेगी, दूसरा प्रश्न आयेगा काश्तकारों के ऊपर; इससे एक आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। तो साथ साथ इसका असर दूसरा भी पड़ेगा जो स्वास्थ्य से ताल्लुक रखता है और स्वास्थ्य से ताल्लुक रखने के कारण यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसके साथ साथ यह भी सही है कि गांवों में तमाखू के आदि बहुत हैं और उनके लिए इसे एक दम छोड़ना भी मुश्किल है। एक दम प्रतिबंध लगाया जाय तो इसके अभाव में ग्रामीणों को किसी वैद्य या हकीम की शरण लेनी पड़ेगी और इससे ग्रामीणों को आर्थिक हानि भी होगी।

इसके अलावा अगर सरकार की ओर से अथवा जनता की ओर से ही जैसा कि एक मेरे मित्र ने कहा, जनता के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने का वातावरण पैदा किया जाय और सरकार की ओर से इस कुप्रथा के निवारण के लिए किसी आयुर्वेदिक दवाई का वितरण किया जाय तो वह अच्छा होगा और सर्व साधारण को, जो तमाखू के आदी हैं उन्हें इसे छोड़ने में सुविधा होगी।

जहां तक लाइसेंस का प्रश्न है इसका असर शनैःशनैः, ग्रेजुअली (gradually) होगा एक दम नहीं होगा। यह जरूरी है कि जिन नागरिकों में से इस कुप्रथा को हटाना है उन्हीं पर इस टक्सेशन का, इस लाइसेंस का असर पड़ेगा। तो यह ठीक है कि जो रोगी हैं उन्हीं को अगर दवा दी जायगी; तभी इलाज होगा।

[श्री किशनलाल शाह]

रोगी कोई और हैं और दवा किसी और को दी जाय तो कोई असर नहीं पडेगा। यह कहना कि ग्रामीण जनता पर असर पडेगा, यह गलत है। जिन्होंने खुद ने कभी ग्रामीण जनता की शक्ल नहीं देखी, जो ग्रामीण जनता का कई दूसरे तरीकों से खून चूसते हैं वेही ग्रामीणों के लिये कहते हैं कि इनका ग्रामीणों पर बुरा असर पडेगा इसलिये इसे नहीं किया जाय, माननीय उपाध्यक्ष, यह एक छल है। में सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस एमेंडमेंट को अलग रखते हुए इस बिल को पास करेंगे।

**श्री बेलजी**—उपाध्यक्ष महोदय, यह तमाखू के बारे में जो बिल आया है, इसके बारे में मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस तरह छोटे २ उद्योग धंधों पर जो टेक्स लागू होता है यह ठीक नहीं है। जो गरीब लोग हैं वे इसका ज्यादा उपयोग करते हैं और यह एक नीचे दर्जे का नशा है। मेरे खयाल से पहले जो ऊंचे दरजे के नशे शराब, गांजा अफीम आदि हैं इन पर टेक्स लगाना चाहिये। अगर सरकार इन पर टेक्स लगाते तो में सरकार को धन्यवाद देता। यह एक बिल्कुल छोटा नशा है। इस पर टेक्स लगा देने से तमाखू पीने वाले गरीब लोग एक दम निराश हो जायेंगे। सरकार अगर इसे धीरे धीरे छुड़ाने की कोशिश करे तो ठीक होगा। इस छोटे से नशे पर सरकार टेक्स लगाने की कोशिश कर रही है इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया।

अगर सरकार गरीबों के ज्यादा नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह टेक्स लगाना चाहती है तो में यह अर्ज करूंगा कि गरीबों का ज्यादा नुकसान शराब से होता है। गरीब दिन भर में चार आना, आठ आना, बारह आना मुश्किल से कमाते हैं और उसे कलाल की दुकान पर जा कर खर्च कर देते हैं जिससे उनके कुटुम्ब के लोग त्राहि-त्राहि करते हैं।

तमाखू पीने वाले दिन भर में एक-दो पैसे की तमाखू लेते हैं। इससे उनके कुटुम्ब पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। अतः इस संबंध में मेरी प्रार्थना है कि शराब, गांजा आदि जो ज्यादा नशीली और ज्यादा नुकसान करने वाली चीजें हैं उन पर पहले टेक्स बढ़ाना चाहिये और इस तमाखू पर टेक्स न बढ़ा कर धीरे धीरे इसके प्रयोग को रोकना चाहिये।

**श्री भैरूंसिंह केलवा**—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने देखा है कि राजस्थान सरकार को पब्लिक हेल्थ का कोई खयाल नहीं है, उसे केवल टेक्स लगा कर अपनी आमदनी बढ़ाने का खयाल है। तमाखू पर भी टेक्स इसलिये बढ़ाया जा रहा है कि राजस्थान सरकार की आमदनी बढ़े। टेक्स इस तरह बढ़ता जा रहा है जिस तरह सुरसा का मुंह बढ़ता गया। पहले तमाखू के ऊपर कोई भी टेक्स नहीं था। वार टाइम में ग्रो मोर फूड केम्पेन के समय में तमाखू पर गुजरात में टेक्स लगा। इस पर गुजरात वालों ने यहां आकर तमाखू बोना शरू किया। केन्द्रीय सरकार ने तमाखू पर पहले ही टेक्स बढ़ा रखा है, लाइसेंस डीलर हैं उन पर भी अगर टेक्स बढ़गा तो इसका असर, जो गरीब लोग तमाखू पीने वाले हैं उन्हीं पर पडेगा। हार्बर पर टेक्स लगा हुआ है जिससे बहुत सी जगह तमाखू को नष्ट करना पड़ा है और तमाखू पर टेक्स होने के कारण बाज लोग तमाखू खरीद नहीं सकते। इसी तरह बीड़ी पर टेक्स बढ़ जायगा तो यह मार्केट में भी नहीं आयेगी। बीड़ी बनाने और बेचने की

[श्री भैरों सिंह केलवा]

यह जो एक छोटी कॉटेज इन्डस्ट्रीज है, जो अब कुछ कुछ डेवेलप develop होना शुरू हुई है वह भी इस टेक्सेशन से खत्म हो जायगी।

वैसे देखा जाय तो इसे अच्छी जमीन में नहीं बोया जाता, उस बीड में जहां घास होता है वहां तमाखू बोई जाती है। तो इससे अनाज की उपज पर इस तमाखू का कोई असर ही नहीं पड़ता।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही इस पर टेक्स है और फिर यह लाइसेंस होल्डर्स पर टेक्स लगेगा तो इसका बोझ राजस्थान की गरीब जनता पर ही पड़ेगा। राजस्थान सरकार, पहले से जो टेक्स लगा हुआ है, उसको बढ़ाना चाहती है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट कर दिया जावे।

**श्री श्रीदास गोयल**--जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उस पर बहुत से मित्रों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मुझे यह निवेदन करना है कि कभी कभी विचार करते समय भावुकता के कारण कुछ एसे ऑब्जेक्ट्स ध्यान में रख लिये जाते हैं जो व्यवहारिकता से दूर होते हैं। यह समाज का सिद्धान्त है कि मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक हो तो उससे समाज का बड़ा हित होता है। जितनी भी नशीली चीजें हैं वे समाज को गलत रास्ते पर ले जाती हैं, अंग्रेजों ने हमें यह सबक सिखाया है। उन्होंने दो चीजों से हमें अपाहिज बनाने की खोज की। उन्होंने राजा-महाराजाओं और दूसरे व्यक्तियों को ऐश आराम और नशा दिखाकर अपाहिज बनाया। यह सौभाग्य की बात है कि आज इस प्रकार का बिल हमारे सामने आया है पर हम इसका विरोध कर रहे हैं, यह हमारे लिये शर्म की बात है। यह बात अवश्य है कि जिस प्रकार का बिल लाया गया है उस प्रकार का केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि कई सिस्टर स्टेट्स में लागू हुआ है और वहां पर यह उपयोगी सिद्ध हुआ है। चुनाव के समय जब मेरे मित्र गांवों में गये तो उन्होंने देखा होगा कि टेक्स नहीं लगने के कारण पहले लोग गांवों में खूब तमाखू उगाते थे और खूब पीते थे। लेकिन आज अनुपातत: मिकदार कम हुई है। मैं आशा करता हूं। कि इस बिल को प्रक्टिकल शेप (practical shape) देने से जनता में इसका डिसकरेजमेंट (discouragement) जरूर होगा।

एक बात और है। वह यह कि बिल जिस हालत में पेश किया जा रहा है उस हालत में यह पूर्णतया ठीक नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट यह डिस्क्रीशनरी (discretionary) रखा है कि ऐसे एरियाज में इसे लागू किया जायगा, जहां उचित समझा जायगा, उसी तरह छोटे २ गांवों में जहां कोई दुकानदार २० बीडियों के बंडल लेकर बैठे हैं और मामूली बीड़ी होती है यानि जो छोटे २ रिटेल डीलर्स हैं उनको किसी हद तक एग्जम्प्ट कर दिया जायगा। इस बात का स्पष्टीकरण यदि माननीय मंत्रीजी करेंगे तो इस पर बहुत से मित्रों को कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जैसे मेरे मित्र शराब के विषय में कह रहे हैं उसी तरह मैं उनका ध्यान चाय और कॉफी के विषय में दिलाऊंगा। जब भारत में चाय और कॉफी का जन्म नहीं हुआ था तब हमारे मस्तिष्क और शरीर अधिक उपयोगी काम कर रहे थे। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी इन दो बातों की ओर ध्यान देंगें जब कि वे लाइसेंस देने लेंगेंगे।

[श्री श्रीदास गोयल]

तीसरी चीज जो बहुत अहम की है वह यह है कि जितने बिल पास किये जाते हैं उनके लिये सारे हाउस की बहुत जिम्मेदारी है और हमें देखना है कि जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी (executive machinary) इनको इम्प्लीमेन्ट करने (implement) जा रही है वह वास्तव में जनता को कितनी राहत पहुंचा सकती है। अभी हमने देखा कि शादी के समय या किसी नुक्ते के समय कर्मचारी लोग कितनी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इसलिये यह सोचना जरूरी है कि मशीनरी अच्छी हो। किसी एक्ट को लागू करने से पहले प्रचार द्वारा जनता को यह बतलाया जाता है कि आपके लिये गवर्नमेन्ट इस प्रकार से सोच रही है, ऐसा प्रचार काफी उपयोगी होगा। हमारे यहां का कोऑपरेटिव विभाग जनता से सीधा सम्पर्क करने का प्रयत्न कर रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट भी कुछ प्रयत्न कर रहा है। इसलिये मशीनरी को ज्यादा एक्टिव बनाना है ताकि इससे जनता को राहत मिल सके।

**श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**--उपाध्यक्ष महोदय, जो विचार इस आशय से प्रगट किये गये हैं कि इस बिल का पब्लिक ओपिनियन के लिये भेज दिया जाय उनमें आपस में मतभेद था और शायद इस बिल को पूरी तरह से न पढ़ने के कारण ही गलत फहमी हो रही है। श्री एच.के. व्यास ने जो भाषण दिया उसमें बिल का विरोध नहीं था। वे शायद किसी और मित्र को रुपये देने से नाराज थे। शायद ७०-७२ हजार रुपये की रकम ड्यू (due) थी उसका पेमेन्ट कर दिया गया उससे नाराज हैं। वे जाहिर करना चाहते थे कि इस बिल के बाद जो लाखों रुपयों की आमदनी होगी वह रोक दी जाय।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**--जिनको सरकार द्वारा रकम दी गई है उनमें कितनी रकम सरकार की बकाया निकलती है? उनकी रकम तो उनको दे दी गई और लेनी थी उसके लिये केवल लिखा-पढ़ी कराई गई है।

**श्री भोलानाथ**--जिनसे रकम ड्यू होगी वह ली जायगी और जिनकी ड्यू होगी उनको दी जायगी।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**--जिनसे ड्यू थी उनसे ली नहीं गई है। उनकी ड्यू थी वह तो उनको दे दी गई और आप की ड्यू थी उसके लिये केवल प्रोमिसरी नोट लिखा लिया गया है, यह कहां का न्याय है?

**श्री भोलानाथ**--मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता और न इस विषय से यह रिलेवेन्ट ही है।

श्री मुक्तिलालजी और ईश्वरीसिंहजी यह ख्याल करते हैं कि मामूली किसानों पर और तमाखू बोने वालों पर इस टैक्स का असर पड़ने वाला है। यह साफ है कि इसका असर किसी प्रकार भी किसानों पर नहीं पड़ने वाला है, यह टैक्स किसानों पर किसी प्रकार भी नहीं लगने वाला है। ईश्वरीसिंहजी का जो विरोध था वह श्री एच. के. व्यास का समर्थन था। मैं आशा करता हूं कि वे अपना विरोध वापिस ले लेंगे। मुक्तिलालजी से मैं कहूंगा कि किसानों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। हमारे महार साहब कहते हैं कि इस टैक्स से गांव वालों और शहर वालों में विरोध करना चाहते हैं। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि इस बिल को शहर के रहने वालों पर ही लगाना चाहते हैं। शहर में रहने वाले तो इसके रहने का विरोध कर सकते हैं। "It shall come into force in such areas" इसका मतलब यह

# Page No.58



[श्री भोलानाथ]

है कि समस्त राजस्थान में इसे लागू नहीं करना चाहते, जहां १०-१२ हजार की आबादी है वहां के रहने वालों पर ही यह लागू होगा। इसलिए जो गलत फहमी है कि किसानों पर कोई टैक्स लगाया जा रहा है या गांवों में रहने वालों पर लगाया जा रहा है उसका मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है। मैं समझता हूं इसके बाद आपका विरोध खत्म हो जाता है।

एक बात जरूर है कि जब कोई नया कानून आता है तो उसको अमल में लाने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही जरूरी है कि जिससे जनता को तकलीफ पैदा न हो। इसके क्लॉज ७ में यह कहा गया है कि यदि कोई अफसर नाजाइज तरीके से तंग करेगा तो उस पर मुकद्दमा चलने का प्रोविजन रखा गया है। नाजायज तरीके से खर्च करे या तंग करे तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा कर सजा देने का लिखा गया है। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स अगर अच्छी तरह से अमल में नहीं लायेंगे तो इनको भी सजा देने का प्राविजन रखा गया है।

इस प्रकार के अच्छे प्राविजन के हो जाने के बाद आपके विरोध का कारण नहीं रहना चाहिये। अगर इसमें भी कोई खामी हो तो अमेन्डमेन्ट लाइये, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा।

अभी श्री गंगासिंहजी और तनसिंहजी के दो ही अमेन्डमेन्ट आये। आपका भी आ जावे तो मैं सहर्ष विचार करने को तैयार हूं।

बिल में एक तरह से जिस प्रकार उचित समझा जावेगा विचार-विमर्श के बाद और रूल्स में जो प्रोविजन्स रक्खेंगे उन्हें पास करने के लिए आपके पास लाया जावेगा।

वास्तव में इसको आप रिअलाइज (realize) करें और हम भी चाहते हैं कि इसका रिएक्शन (reaction) अच्छा हो, जो अच्छे २ डीलर्स हैं उनसे फीस ली जावे, किसानों को तंग करने की हमारी मन्शा नहीं है। गांव के लोगों को, छोटे २ दुकानदारों को तंग करने का हमारा इरादा कतई नहीं है। किसान को माफ किया गया है। इस तरह से ये तीन-चार जो वहम पैदा हो गये हैं उनको साफ करने का मैंने प्रयत्न किया है। मैं श्री एच.के. व्यास से निवेदन करूंगा कि आप इसमें संशोधन रखने का विचार करेंगे तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं। पर इसमें अगर आप देर लगाना चाहेंगे और यह चाहेंगे कि इसमें अनावश्यक ढील हो तो अब कोई देर नहीं लगाई जा सकती।

**श्री उपाध्यक्ष**—श्री व्यास, आप क्या विदड्रा करना चाहते हैं अपने संशोधन को?

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—इतनी बहस हुई है इसमें तात्विक प्रश्न पर बहस शुरू हो गई। तमाखू का उपयोग रोका जाना चाहिये या नहीं, इस पर अलग अलग रायें हो सकती हैं और वह जुदा प्रश्न भी है।

लेकिन जिन सदस्यों ने तमाखू का उपयोग रोकने के बारे में इस बिल की लम्बी-चौड़ी ताईद की उन्होंने अगर मेहरबानी करके इस बिल को पढ़ा होता तो पता चलता कि तमाखू का उपयोग में न लेने के लिए कोई क्लॉज़ नहीं है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसका तो एक चीज से ताल्लुक है कि जो बेचे वह लाइसेन्स लेकर बेचे। बेचे कम या ज्यादा, चाहें तो और ज्यादा बेचें, तबियत में आवे उतना बेचें, कोई रोक नहीं। रोक तो सिर्फ यह है कि बेचे तो लाइसेंस लेकर बेचे सरकार को पैसा देकर बेचें, यह है इस बिल की मंशा।

दूसरा जो पोइन्ट है और इसी सैद्धान्तिक विरोध में मैं कहता हूं कि यह जो बिचारे छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पर इसका बोझा पड़ेगा क्योंकि उनको छोड़ने पर सरकार का काम चलता नहीं। उनको अगर छोड़ दिया जावे तो यह बिल ही बेकार हो जावेगा।

दूसरी बात यह है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पर इसके लिये कहा गया है कि इसको रोकने के लिये एक क्लॉज रख दिया गया है। इसका जिक्र करते हुए इस क्लॉज का पहला हिस्सा तो बता दिया गया है पर दूसरा नहीं बताया।

पहले हिस्से में यह आता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति को संताप देकर तथा अनावश्यक रूप से उसकी तलाशी लेता है या गिरफ्तार करता है तो अपराधी ठहराए जाने पर वह तीन महीने की अवधि के कारावास या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों ही के पाने का भागी होगा।

पर इसका दूसरा प्रोविजन जो है वह बहुत ही खतरनाक है वह यों है :—

"No Magistrate shall take cognizance of an offence punishable under this section expcet on the complaint or report of the Excise Officer authorised by the State Government in that behalf.'

यानि जिसके खिलाफ आपको शिकायत है और जिस विभाग के कर्मचारी को आप सजा दिलाना चाहते हैं कोर्ट के सामने जिसको खड़ा करना चाहते हैं उसी विभाग के कर्मचारी की जब तक इजाजत न हो तब तक मजिस्ट्रेट कोई फैसला नहीं दे सकता। इस तरह से शब्दों को आगे पीछे तोड़ मरोड़ कर ऊपर का सारा मतलब ही समाप्त कर दिया गया है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। वह तो अमेन्डमेन्ट में आवेगा ही। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेजिस्ट्रेट तो आपका आवेगा बाद में, पर जज तो उसी विभाग का अधिकारी बन जावेगा जिसके रवैये के खिलाफ आप शिकायत करने जावेंगे।

तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर चालान पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर तमाखू या तमाखू से बनी चीजों को रिटेल में जो बेचने वाले हैं उनको लाइसेंस लेने के लिए मजबूर करने का भय है और इसका तब एक ही अर्थ हो सकता है कि केवल सरकार इसे आमदनी का जरिया बनाना चाहती है।

जो ऊंची से ऊंची तमाखू पीते हैं या बेचते हैं वे कोई आपको लाइसेंस की फीस देंगें, ऐसी बात नहीं है। लाइसेंस फीस तो विचारे गरीब ठेले वाले रिटेल बेचने वाले छोटे दुकानदार जो हैं, वे देंगे। तो फिर आप टेक्स्ड किसको कर रहे हैं? आप टैक्स करना चाहते हैं तो बड़ी हाई क्लास तमाखू को, जो ऊंची ऊंची क्वालिटी की सिगरेट हैं, केप्सटन है, केवेन्डर्स है, ५५५ है; उन पर टैक्स लगाईये। पर

# Page No.60



[श्री हरिकृष्ण व्यास]
इन पर तो आप नहीं लगा रहे हैं। आप तो तमाखू या तमाखू से बनी चीजों पर टैक्स लगा रहे हैं। इसलिये मेरा सैद्धिन्तिक विरोध है और इसीलिए मैं मेरा अमेन्डमेन्ट वापिस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The Question is that Shri H. K. Vyas's amendment, that the Bill be circulated for eliciting public opinion, be accepted.

(अस्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष—Now the Question is that the Rajasthan Tobacco...

श्री मानसिंह महार—Sir, I move that the Bill be referred to a Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष—There is another amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to move this. I am just giving it in writing.

श्री उपाध्यक्ष—Not available here.

श्री श्रीदास गोयल—I want a ruling on the issue whether my friend is authorised to bring such requests at this stage, to refer the Bill to the Select Committee.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Since somebody wants a ruling on this point I would like to refer to certain references.

In rules it has been provided very clearly that when a motion by the Member-in-charge be made, either the Bill be taken into consideration or that it will be referred to a Select Committee or be circulated for eliciting public opinion, he should have moved any of these motions. Thus it has been provided that any of the following may be moved as an amendment:— What are they ? They are when the Member in charge moves that the Bill be taken into consideration any of the two motions may be moved : Either that the Bill be circulated for eliciting public opinion or that the Bill be referred to a Select Committee. My submission is that the motion is being moved as an amendment immediately as a consequence of the motion of the Member-in-charge. Therefore my friend is perfectly entitled. He is in time, in order and according to procedure, to move this and that is why I have moved.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, May I say a few words about it ? The rule which my friend H. K. Vyas has referred to is Rule 124(2)(*a*). "If the Member-in-charge moves that his Bill be taken into consideration, any Member may move as an

# Page No.61



[ श्री जयनारायण व्यास ]

amendment that the Bill be referred to a Select Committee or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion."

They ought to have, according to rules, moved just after the Member had moved that the Bill be taken into consideration. Now that one amendment has failed, another amendment has been brought on that stage. That amendment would have been brought on that occasion, Sir. I don't think this is a proper occasion but if the, Hon'ble Deputy Speaker allows I have nothing to say. Still I may add that this is not proper. The occasion was when the Bill was moved for the consideration of the House. At that time both the Courses were in the hands of the Member concerned. They are now in the hands of the Chair and not in the hands of the Members.

**श्री मानसिंह महार**—माननीय उपाध्यक्षजी, मने इस बिल के बारे में जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है वह यह है कि राजस्थान तमाखू डीलर्स लाइसेंसिंग बिल, १९५३, को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे। यह अमेन्डमेन्ट रखते हुए मैं आपके जरिये सरकार से. . . .

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि इनको यह अमेन्डमेन्ट मूव करने की इजाजत दी है या नहीं क्योंकि यह अमेन्डमेन्ट मूव होना चाहिये या नहीं, यह विचार सदन के सामने पेश है।

**श्री उपाध्यक्ष**--मैं इस अमेन्डमेन्ट को अलाऊ (allow) करता हूं।

**श्री मानसिंह महार** (जारी)--माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव करते हुए सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने यह अमेन्डमेन्ट इस सदन के सामने रखने से पहले यह सोचा था कि अगर पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्क्युलेट करने का अमेन्डमेन्ट सरकार अगर स्वीकार कर देगी तो मैं इसे मूव नहीं करूंगा। सरकार ने उसे नामन्जूर कर दिया है इसलिये मुझे बाध्य हो कर आपके सामने सिलेक्ट कमेटी का अमेन्डमेन्ट रखना पड़ा। इस बात को लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे भाषणों का जो विरोध किया वह इस प्रकार से किया गया जिससे यह मालूम होता है कि विरोध करने वाले मेरे मित्रों ने, इस बिल को पढ़ा तक नहीं और एक प्रकार सरमन प्रीच (Sermon preach) करने लग गये। तमाखू बिल पेश करने वालों ने इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स (Statement of objects and reasons) में जो लिखा है वह बता दूं। उसके पश्चात् मैं सिलेक्ट कमेटी को सौपने के विषय में प्रार्थना करूंगा।

"The Bill is designed, as will be manifest from the preamble thereto, to regulate retail sale of manufactured tobacco in Rajasthan. The main object of the Bill is to raise taxation from a commodity which is taxed in many sister States and is a luxury, the consumption of which can vary both quality and

[ श्री मानसिंह महार ]

quantity according to the means of the consumer. It bears the sanction of the President as required by the Proviso to Article 304 of the Constitution."

माननीय उपाध्यक्षजी, इस स्टेटमेन्ट ऑफ आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में जो लिखा है उसके अनुसार सरकार की यह नियत नहीं पाई जाती कि तमाखू और तमाखू से बनी हुई चीजों पर रोक लगा दे क्योंकि यह जनता के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

सरकार की जैसी नियत होनी चाहिये अगर होती तो हम उसका स्वागत करते और मैं तो नोन स्मोकर (non-smoker) होने के नाते इस चीज का और ज्यादा स्वागत करता। दुख की बात है कि सरकार गरीबों की जेब से पैसा प्राप्त करने की नियत से इस प्रकार के बिल लाती है, न कि वास्तविक रूप से किसी सुधार की नियत से। इसलिये मैं सदन के सदस्यों से अपील करूंगा जिन्होंने कि इस बिल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है वे मेरी बात पर गौर करें। इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय ताकि इस बिल पर १०-१५ आदमी बैठकर तसल्ली से विचार कर सकेंगे और जिस प्रकार मिनिस्टर महोदय ने फरमाया कि हम गांव वालों पर यह टैक्स नहीं लगायेंगे, इस नीति पर भी हमें शक शुबाह है। क्योंकि राजस्थान में ऐसा कानून बनाया गया था जिसको केवल भरतपुर और अलवर में लागू किया गया और वह कानून गंगानगर, जहां के ज्यादा लोगों पर उसका असर होता है, लागू नहीं किया गया। वहां की पार्टी विशेष के विरोध के कारण वह कानून गंगानगर पर लागू नहीं किया गया।

**श्री दिलीपसिंह**—वह कौनसा कानून है जो अलवर और भरतपुर में लागू किया गया है और गंगानगर में नहीं ?

**श्री मानसिंह**—जिसके द्वारा डबल जमा बन्दी करने का हुक्म था। इस कानून को गंगानगर के लोगों के लिए लागू इसलिये नहीं किया गया कि उस इलाके से सरकारी पक्ष के लोग चुनकर नहीं आये थे अगर वे वहां भी लागू कर देते तो उनकी पोजिशन एम्बेरेसिंग (embarrassing) हो सकती थी। अलवर और भरतपुर से इतने सरकारी पक्ष के आदमी आये थे कि उनकी पोजिशन मजबूत बनाने के लिए कानून को इन दो जिलों में लागू करना जरूरी था। इसी प्रकार माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन जरूर देते हैं कि हम इस कानून को गांवों में लागू नहीं करेंगे किन्तु आगे क्या मालूम कि गांव वालों पर भी लागू कर दे। इस शक को ध्यान में रखते हुए इस सदन के तमाम सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह जो दो-तीन बातें मिनिस्टर महोदय ने बताई हैं वे बातें कानून के अन्दर लिखित रूप में रखी जा सकें इसलिये सिलेक्ट कमेटी चाहे तो इस सेशन के दरमियान में ही बैठक कर इसमें कुछ सुधार करके सदन में पेश करदे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। मेरी सदन से आपके जरिये मांग है कि वह मेरा अमेन्डमेन्ट स्वीकार करे और साथ ही यह भी अर्ज करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय को इसका विरोध करने के बजाय इसका स्वागत करना चाहिये। इस तरह से दो शब्द कह कर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे अमेन्डमेन्ट को अवश्य स्वीकार कर लें।

**श्री कानसिंह**—अध्यक्ष महोदय, यह तो सबको भलिभांति याद है कि जो बिल हमारे सामने है महज सरकार की आमदनी बढ़ाने का एक प्रयास मात्र है। यह जनता के साथ कोई हित की चीज नहीं है।

# Page No.63



[ श्री कानसिंह ]

इस पर बहस करते वक्त हमारे नोटिस में आया कि सरकार जनता पर टैक्स लगाकर जनता से एक तरह से पैसा बटोर रही है। इस साल सरकार लोगों पर कई टैक्स लगा रही है, एक एग्रीकल्चर टैक्स, दूसरा सेल्स टैक्स, तीसरा वाटर रेन्ट के नाम से टैक्स और पांचवा तमाखू टैक्स। इस प्रकार जब टैक्सों की भरमार हो रही है तो हमें देखना है कि कितने टैक्स लगाये जायं और कितने नहीं। इसलिये इस बात की छानबीन करने के लिये हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि यह बिल, जो जनता के लिये बहुत आपत्तिकारक है सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। इससे भी बेहतर तो यह होता कि इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए सक्युलेट किया जाता। लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना है तो मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री हमारी इस बात का अवश्य स्वीकार करें और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होने दें। इस जनता के जो प्रतिनिधि हैं वे सिलेक्ट कमेटी में बैठकर इसमें जो सुधार करना जरूरी है सुधार कर सदन के सामने प्रस्तुत कर देंगे। यह सिलेक्ट कमेटी विचार करेगी कि यह बिल पास होने लायक है या नहीं या इसमें जो टैक्स लगाया गया है वह वाजिब है या नहीं। इन शब्दों के साथ में सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

**श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**—सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को मैं मन्जूर करता हूं लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसे जल्दी पास किया जायगा।

**श्री उपाध्यक्ष**—सिलेक्ट कमेटी के नाम पेश करें।

**श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**—मैं अभी पेश कर रहा हूं।

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—Shall we proceed further, till he suggests the names of the Select Committee Members ?

**श्री उपाध्यक्ष**—The question is that the Bill to regulate the sale by retail of manufactured tabacco be taken into consideration.

जो इसके पक्ष में हों वे हां कहेंगे यानी जनरल डिस्कशन का स्टेज खत्म हो गया अभी क्लॉज वाइज नहीं लिया गया। कन्सीडरेशन स्टेज पास हो गया और सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आयगी उस वक्त दुबारा प्रिन्सिपल्स डिसकस नहीं किये जायेंगे। फिर तो रिपोर्ट डिस्कस हो जायगी।

**श्री उपाध्यक्ष**—यह कन्सीडरेशन स्टेज पास हो गया, और सिर्फ सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट डिस्कस होगी और क्लॉज वाइज जनरल डिस्कशन होगा। मंत्री महोदय ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है। हाउस की यह सम्मति चाहिये कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय ?

(प्रवर सम्मिति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत)

**श्री उपाध्यक्ष**—अब सिर्फ कन्सीडरेशन की स्टेज को पास करने के लिए बात है जो बीच में "be accepted for consideration" के लिए मैं सम्मति चाहूंगा।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—आप इजाजत दें तो मैं बताऊं। वह प्रोसीजर तो यह होगा कि जिस वक्त बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर हो गया उसका मतलब यह है कि हाउस ने उसके प्रिन्सिपल्स को एग्री कर लिया, और अब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर डिसक्शन ऑटोमेटिकली (automatically) हो जायगा लेकिन जनरल डिस्कशन के लिये यह है कि "The report of the Select Committee will be the subject matter of the discussion but all the same there will be general discussion" इसलिए कन्सीडरेशन स्टेज ऑटोमेटिकली (automatically) खत्म हो गई है। जब कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर लिया तो इसके आगे वोट लेने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**—I have accepted this point. The Members did discuss general principles after the report was presented to the House. As the House has now accepted the motion of Select Committee it means that we accept the principles of the Bill and if there are amendments or any other further things in the Report, they will be discussed only and not the general principles.

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—Shall we proceed with other business, Sir, till the names of the Select Committee Members are suggested ?

**श्री उपाध्यक्ष**—Yes, next.

## राजस्थान विधान सभा (निर्योग्यता निवारण) विधेयक, १९५३

**श्री उपाध्यक्ष**—श्री रामकिशोर व्यास।

**श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)**—Sir. I beg to move that the Bill to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being, or for being chosen as, members of the Rajasthan Legislative Assembly, be taken into consideration.

Statements of Objects and Reasons are—

In clause (1) of Article 191 of the Constitution of India are enumerated the various disqualifications for membership of the House or Houses of State Legislatures. One of these disqualifications is the holding of an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the said Constitution. The Legislature of a State is however authorised to declare by law any such office not to disqualify its holder for membership of a House of that Legislature. In pursuance of this authority the Legislatures of almost all the States have made the requisite declarations by means of enactments and it is high time for a like declaration to be made in respect of the Rajasthan Legislative Assembly. Hence the Bill.

It will be noticed that provision has been sought to be made for the commencement of the Bill retrospectively with effect from the 26th of January, 1950 the date of the commencement of the Constitution. Ministers do not incur the disqualification in question under clause (2) of Article 191.

# Page No.65



**श्री हरिकृष्ण व्यास**—ऑन ए पॉइन्ट आफ इन्फरमेशन, सर, जब अपने यहां डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी या पार्लियामेन्ट्री अन्डर सेक्रेटरी है ही नहीं तो फिर उनके लिये यह बिल लाना क्यों आवश्यक है, या यह समझा जाय कि हमारे यहां भी डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी वगैरह बन रहे हैं ।

**श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)**—यह जरूरी नहीं है कि वे बन गये हैं या नहीं: वे बन सकते हैं ।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—बनाने का इरादा है तभी इस बिल को लाया जा रहा है ।

**श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)**—मैंने कहा कि बन सकते हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष**—Motion moved. Any discussion on this motion?

**श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)**—माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बिल के विषय में मैं बहुत ज्यादा न कहकर आपके जरिये मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जब राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति पैदा ही नहीं हुई है, यहां पर सरकार ने आज तक डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री बनाये ही नहीं हैं, और अभी बहुत निकट भविष्य में बनाने की कोई संभावना भी जब सरकार द्वारा नहीं दिखती है तो इस प्रकार का लेजिस्लेशन स्टेचुटरी बुक (Statutory book) पर लाकर सरकार क्यों सदन का समय बरबाद करना चाहती है । मैं यह दो एक शब्द कहूंगा । इस बिल के बारे में बहुत ज्यादा न कह कर मेरा यही कहना है कि इस प्रकार के बिल से शायद सत्तारूढ़ दल में कुछ आपसी मतभेद होने के कारण इधर उधर सरकार टुकड़े फेंकने की कोशिश में इस प्रकार का बिल लाकर विरोधियों का मुंह बन्द करना चाहती है । अगर सरकार की यह नीति है तो मैं इसको उचित नहीं समझता और इस सम्बन्ध में तो सरकार को यह चाहिये कि अगर ६ महिने पहले भी ऐसी बात विचारी है, अगर वातावरण कुछ विक्षुब्ध हो गया है तो इस प्रकार का बिल नहीं लाकर वह महीना-बीस दिन और ठहर जाती तो इस बिल पर शक शुबहा करने की कोई गुंजाईश ही नहीं होती और इसको हाउस स्वीकार करता । लेकिन दो एक छोटी-मोटी बातों से सदन को एनलाइटन ( enlighten )कर देंगे तो फिर हम इस बिल को अवश्य पास कर देंगे । यही दो-एक बातें कह कर मैं कहूंगा कि मेरी बातों का स्पष्टीकरण कर देंगे तो इस पर ज्यादा समय व्यर्थ नष्ट नहीं होगा ।

**श्री कानसिंह**—अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसको भिन्न-भिन्न दिमाग से, भिन्न २ तरीकों से जाना जा सकता है । इसमें जो डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री और अन्डर सेक्रेट्री का प्रोविजन रक्खा गया है इससे यह दृष्टिगोचर होता है कि इस सदन से यह बिल पास करा कर यह कहा जावे कि राजस्थान की एसेम्बली, राजस्थान का सदन इस बात को चहता है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी मन्जूर किये जावें । चूंकि यह बात बिल के पढ़ने से साफ नहीं है इसलिए हमें शक होता है और शक पैदा होने के कारण हम यह नहीं चाहते कि इस बिल को ऐसे ही पासकर दिया जावे जैसे किसी को कोरा चैक देता हो । मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं और जो शब्द मेरे मित्र श्री मानसिंह जी ने कहे हैं उनका समर्थन करता हूं ।

**श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, में यह कहना चाहता हूं कि जो बातें हमारे मास्टर साहब ने सदन के सामने उपस्थित की हैं वे इस बिल से संबन्धित नहीं हैं। क्योंकि अभी भी चीफ मिनिस्टर को यह अख्तियार है कि वह डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्री मुकर्रर करे और लीडर ऑफ दी हाउस बनने के बाद उसको यह अख्तियार है जिसको कोई भी उससे नहीं छीन सकता है। लेकिन यह जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह इसलिए नहीं किया गया है कि जो अख्तियारात हाउस में चीफ मिनिस्टर को हैं उन्हें काम में लिया जावेगा या नहीं, बल्कि यह तो बिल इस सिलसिले में पेश किया गया है कि आज चीफ मिनिस्टर है वह कल के जमाने में न रहे और हमारे माहर साहब चीफ मिनिस्टर बन जावें उस समय भी किसी भी सदस्य के लिये डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या अन्डर सेक्रेट्री बने उसको किसी भी तरह से डिस्क्वालिफाइ न हो जावे इसके लिये यह पेश किया गया है। और मैं यह कहूंगा कि डिप्टी मिनिस्टर आदि बनने में कहीं भी दूसरी जगह भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है।

अब रहा यह सवाल कि डिप्टी मिनिस्टर या अन्डर सेक्रेट्री अभी लेने वाले हैं या और कभी लेने वाले हैं। इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि इससे किसी को घबराहट क्यों है ? यदि किसी को घबराहट है तो मैं उनकी घबराहट से रुकूंगा नहीं। जो कल लिये जा सकते हैं वे आज भी लिये जा सकते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिनको घबराहट है उनको नहीं लूंगा। इसके अलावा यह बिल किसी को लेने और न लेने से संबंध नहीं रखता है; लेना होगा तो लिये जावेंगे किसी से घबराऊंगा नहीं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अगर हम थोड़ा सा खर्चा कम करदें और मिनिस्टर कम करदें और उनके बजाय पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्री या अन्डर सेक्रेट्री या डिप्टी मिनिस्टर मुकर्रर करदें, तो अच्छा हो। पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्रीज को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। उनको जिस प्रकार मेम्बरों को भत्ता दिया जाता है, जब तक वे जयपुर में ठहरते हैं उसी प्रकार भत्ता दिया जाता है। इसलिये डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेन्टरी सेक्रेट्री के लिये ऐसा होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन चुनावों में न हो, इसके लिये कोई साफ वजन नहीं है जिसकी तहत में उनको डिस्क्वालिफाइ किया जा सकता है।

इसके अलावा मौजूदा वातावरण में घबराने की क्या जरूरत है। अगर परिस्थिति में गड़बड़ हुई तो उल्टा एक्सप्लाइट करने का मौका मिलेगा। इसके लिये तो लीडर ऑफ दी हाउस को सोचना चाहिये कि अभी क्या हो रहा है और कल और परसों और क्या होने वाला है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं।

**श्री रघुराजसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इस बिल के सिद्धान्तों के बारे में सिर्फ यही कहना है कि मिनिस्टर्स की जो डिस्क्वालिफिकेशन अन्डर आर्टिकल १९१ ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्डिया के क्लॉज (१) द्वारा हो सकती है जैसा कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स में दर्ज है वह उसी आर्टीकल के क्लॉज (२) के तहत हटा दिया गया है। इसलिये मिनिस्टर्स के विषय में जो क्लॉज है वह रिडुन्डेन्ट (redundant) है।

**श्री एच०के० व्यास**—माननीय उपाध्यक्ष, इसके पूर्व कि मैं कुछ कहता मेरा इस पर बोलने का को विचार नहीं था। मौके का फायदा उठा कर मैंने यह सोचा कि इस बिल पर कुछ तो रोक-थाम लगादी जावे

[एच. के. व्यास]
और मेरा इस संबंध में यही निवेदन है कि इस अख्तियार को अभी केवल डिप्टी मिनिस्टर तक ही सीमित रखा जाए। पार्लियामेन्टरी और अन्डर सेक्रेट्री के केसेज में यह डिसक्वालिफिकेशन का क्लॉज हटाया नहीं जाना चाहिये। इससे शंका जरूर पैदा हो जाती है क्योंकि आखिर खर्चा तो आपकी स्टेट पर ही पड़ेगा। मेरे जैसे ५-७ मित्रों का खयाल है कि अभी लीडर ऑफ दी हाउस अपने अख्तियार को इसी हद तक सीमित रखें तो ज्यादा ठीक होगा। हमने तो अपनी राय जाहिर की है; मानें तो ठीक है और न मानें तो आपकी इच्छा।

**श्री रामकिशोर व्यास**—There are certain amendments.

**श्री उपाध्यक्ष**—आपको कोई उत्तर देना है ?

(विराम)

Now the Question is that the Bill be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is carried.

(विराम)

Clause 2 of the Bill.

(विराम)

So the question is that clause 2 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 3. Shri Raghuraj Singh to move his amendment.

**श्री रघुराजसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज ३ के मुतल्लिक जो मैंने अमेन्डमेन्ट पेश किया है इसका कारण यह है कि कई संस्थायें ऐसी हैं जिनको इलेक्शन के जमाने में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना गया था और रिटर्निंग ऑफिसर, जिसके ऊपर कि नॉमिनेशन फार्म को रिजेक्ट करने का डिस्क्रिशन था, उसके इस बिना पर कई नॉमिनेशन फार्म रिजेक्ट कर दिये थे। मैंने इसी लिये यह अमेंडमेंट पेश किया है। वह इस प्रकार है:—

"At the end of clause 3 add the following:—

"Or a Chairman or a Vice-chairman or a Member of a District Board or a Sarpanch or a Up-sar-panch or a Member of a village or Tehsil Panchayat."

तो इलेक्शन के समय में रिटर्निंग ऑफिसर को पूरा अधिकार रहता है और पूरे नियम नहीं हों तो निर्णय का अधिकार उसके डिस्क्रिशन (discretion) पर रहता है। इस सदन में बहुत ज्यादा मेम्बर

# Page No.68



[श्री रघुराजसिंह]
ऐसे हैं जो पंचायतों के सरपन्च, उप-सरपन्च और मेम्बर भी हैं। आयन्दा पंचायतों के चुनाव में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन (disqualification) नहीं रहे इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है। आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

**श्री एच० के० व्यास**—मेरा भी एक अमेन्डमेन्ट है। अगर किसी को इसे पेश करने में एतराज नहीं हो तो पेश करूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—There is another amendment. Let that be moved first.

(विराम)

Shri Hazari Lal Sharma.

(अनुपस्थित)

Shri Jawan Singh.

(अनुपस्थित)

**श्री एच० के० व्यास**—Since nobody has objected you may kindly permit me to move my amendment.

**श्री रामकिशोर व्यास**—It is no time to move amendments.

**श्री जयनारायण व्यास**—Other amendments were on the floor of the House how could we object before.

**श्री एच० के० व्यास**—Then I move my amendment, Sir, if there is no objection.

**श्री रामकिशोर व्यास**—I have an objection.

**श्री उपाध्यक्ष**—I disallow. Anybody wants to speak on the amendment of Shri Raghuraj Singh ji may do so.

(कुछ सदस्यों द्वारा ध्वनि "No")

**श्री रामकिशोर व्यास**—माननीय रघुराजसिंहजी ने जो संशोधन खण्ड ३ पर रखा है उसका अभिप्राय इस प्रकार है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन और वाइस चेयरमेन तथा पंचायतों के पन्च, सरपन्च तथा सदस्य इसके अन्दर लिये जायं, ये इसमें और बढ़ा दिये जावें। अभिप्राय आपका यह है कि ये लोग किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन रहते हुए भी असेम्बली के लिये खड़े हो सकें, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहे, इसलिये यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी लोकल सेल्फ

[श्री रामकिशोर व्यास]

बोडी का चेयरमेन, वाइस चेयरमेन या सदस्य होना, ऑफिस ऑफ प्रोफिट नहीं है । म्युनिसिपैलिटी का चेयरमेन होना ऑफिस ऑफ प्रोफिट नहीं है । आप गौर करेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रोफिट वही माना जाता है कि जब उस आदमी को सरकारी खजाने से रुपया मिलता हो । लोकल सेल्फ बोडीज़ के मेम्बर्स को गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता बल्कि उस बोडी के फंड से मिलता है । मिसाल के तौरपर जो म्युनिसिपैलिटी का प्रेसिडेन्ट है उसे गवर्नमेन्ट से नहीं मिलता ।

ऐसी सूरत में मौजूदा सूरत में भी डिस्क्वालिफिकेशन उनके लिये नहीं है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन को लोकल बोडी से मिलता है, इसलिये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं । ऐसी सूरत में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने इस अमेन्डमेन्ट को वापिस ले लें ।

**श्री रघुराजसिंह**—ऑफिस ऑफ प्रोफिट मानते हुए, क्योंकि पंचायतों को जुडिशियल अधिकारात रहते हैं, कई नोमिनेशन्स रिजेक्ट किये हैं । इलेक्शन के जमाने में रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ में उन्हें वेलिड करने या रिजेक्ट करने के पॉवर हैं । कई केसेज में वे रिजेक्ट कर देते हैं और किसी किसी में ऐसा नहीं करते । दो-तीन नॉमिनेशन्स इसी बिना पर रिजेक्ट किये गये थे ।

**श्री मथुरादास माथुर**—माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि लोकल सेल्फ बोडी के पदाधिकारी चेयरमेन, वाइस चेयरमेन आदि लोकल बोडीज़ के ही पदाधिकारी होते हैं और वह पद चूंकि लोकल बोडी का होता है इसलिये ओफिस ऑफ प्रोफिट नहीं है । पर एक चीज जो मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां की लोकल बोडीज़ को सरकार की तरफ से कुछ न कुछ ग्रान्ट और एड मिलती है इसलिये जो पर्चे खारिज किये गये थे उनकी बिना यह थी कि जो लोकल बोर्डज़ हैं, म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनमें हर साल सरकार डेढ-दो लाख रुपया एड देती है । ऐसे महकमों में वह ऑफिस होल्ड करते थे इसलिये उनके नोमिनेशन फोर्म्स रिजेक्ट किये गये थे । अभी भी हमारे जो लोकल बोडीज़ के इन्स्टीट्यूशन्स हैं इस हालत में नहीं हैं कि अपना खर्चा आप चला सकें और आने वाले जमाने में भी जो ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं उन्हें सरकार को मदद देनी पड़ेगी । इस पर मिनिस्टर साहब गौर करेंगे तो चेयरमेन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चेयरमेन म्युनिसिपेलिटी और सरपंच ऑफ पंचायत, जिनको कुछ तनख्वाह तथा एलाउन्स के फोर्म में भत्ता मिलता है उनकी तो मुश्किलात दूर हो जायगी ।

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह बात सही है कि इलेक्शन के समय में रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ऐसे पदाधिकारियों के, जो लोकल बोडीज़ के पदाधिकारी थे नोमिनेशन फोर्म्स रिजेक्ट किये, जैसा कि जोधपुर में हुआ । मेरा यह निवेदन है कि इस तरह जो नोमिनेशन फोर्म्स रिजेक्ट किये गये, वह सही नहीं था । अभी श्री मथुरादास माथुर ने एक दलील दी है कि लोकल बोडीज़ को गवर्नमेन्ट की तरफ से एड मिलती है तो उनके पदाधिकारियों का भत्ता भी गवर्नमेन्ट का समझना चाहिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट जहां एड दे रही है, वह एड इन जनरल (aid-in-general) दी जाती है और जो इलेक्शन के रूल्स हैं कि गवर्नमेन्ट उन्हें एड देती है वह भी मिला लिये जावें ।

[श्री रामकिशोर व्यास]

दूसरी बात मुझे ऑफिस ऑफ प्रोफिट के बारे में यह निवेदन करनी है कि अपने यहां ही नहीं बल्कि दूसरी जो स्टेट्स हैं उनमें भी ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है। उसमें सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज आदि को एक्सक्ल्यूड किया गया है। म्युनिसिपेलिटीज के चेयरमेन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन आदि को प्रोवाइड नहीं किया गया है क्योंकि जो निगेटिव चीज है उसे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन है कि चेयरमेन म्युनिसिपेलिटीज, चेयरमेन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि ऑफिस ऑफ प्रोफिट में नहीं आते हैं।

श्री रघुवीरसिंह—पिछले इलेक्शन में इससे काफी दिक्कतें हुई हैं। म्युनिसिपेलिटीज के चेयरमेन के पद को ऑफिस ऑफ प्रोफिट गिन कर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने नोमिनेशन रिजेक्ट किये हैं; जो इस हिसाब से वाजिब नहीं है। जिनकी अर्जियें इस तरह से रिजेक्ट हो गई हैं उनको काफी तकलीफ उठानी पड़ी है। इसलिये इसे साफ करने के लिये यह अमेन्डमेन्ट है।

श्री तनसिंह—यदि ऐसी चीज नहीं है तो म्युनिसिपेलिटीज के चेयरमेन आदि की जितनी दरख्वास्तें नामन्जूर हुई हैं और उन्हें डिस्क्वालिफाइड किया गया है उन्हें रद्द करना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास—आपको मालूम होगा कि पार्लियामेन्ट में एक बिल मूव हो चुका है कि यदि किसी का नोमीनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिया गया है तो इलेक्शन होने के पहले अपील करने का प्रोवीजन रखा गया है उस बिल में। इसलिये ऐसी कोई चीज आईन्दा होने वाली नहीं है। जो चीज निगेटिव है उसके लिये प्रोविजन रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं अपील करूंगा कि इससे एक और काम्प्लीकेशन शुरु हो जायगा। यदि गवर्नमेन्ट किसी म्युजिक क्लब या और किसी संस्था को एड देती है तो उनके चेयरमेन आदि के पद को भी ऑफिस ऑफ प्रोफिट गिन लिया जायगा और वे कभी खड़े नहीं हो सकेंगे क्योंकि म्युनिसिपेलिटीज आदि जो वास्तव में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हैं उनको लिस्ट में इन्क्ल्यूड करेंगे तो उनको तो आयन्दा दिक्कत नहीं होगी लेकिन दूसरों को जिनको एड मिलती है उनका नाम नहीं होने से फिर उनको दिक्कत हो जायगी। इसलिये जो निगेटिव चीज है उसे शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक जो गलती हो गई है और उसके कारण नोमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गये हैं उसका कारण यह था कि डेमोक्रेसी थी इसलिये कई तरह की दिक्कतें थीं; पर आयन्दा ऐसा नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं अपील करूंगा कि आप अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेलें।

श्री रामकिशोर व्यास—आपकी सूचनार्थ में यह निवेदन करूंगा कि मैं जिस समय इलेक्शन में खड़ा हुआ था उस समय मैं जयपुर म्युनिसिपेलिटी का चेयरमेन था पर मेरा नोमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं हुआ।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री खेतसिंह—इसमें मेरी आपत्ति है। आपका शायद रिजक्ट नहीं हुआ होगा लेकिन जोधपुर में दो-तीन नोमिनेशन पेपर्स सिर्फ इस बिना पर रिजेक्ट हो गये कि वे एडेड (aided) इन्स्टीट्युशन्स

[श्री खेतसिंह]
यानि म्युनिसिपैलिटीज के प्रेसीडेन्ट थे। उनकी पिटीशन्स चल रही हैं पर जजमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है। यदि आप लिस्ट में इन्क्लयूड कर लेंगे तो इसमें नुकसान क्या है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—इस प्रिन्सिपल को एक्सेप्ट करलें कि गवर्नमेन्ट एड (aid) देती है उनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाय तो मामला बड़ा पेचीदा हो जायगा। दूसरे किसी स्टेट में ऐसा नहीं है।

**श्री खेतसिंह**—क्या दूसरे स्टेट में इस तरह की ऐड (aid) मिलती है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—हां यू. पी. में मिलती है।

**श्री रघुराजसिंह**—यदि गवर्नमेन्ट आश्वासन देती है तो मैं अपना संशोधन वापिस ले सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—(श्री रघुराजसिंह को सम्बोन्धित करते हुए) You want to explain further? It needs no explanation whatsoever. If you want I can put it to vote.

(विराम)

He (Shri Ram Kishore Vyas, Law Minister) cannot give any assurance on the motion or the assurances will be void, I assure you.

(लम्बी चुप्पी)

So I put it to vote.

(विराम)

Is it the leave of the House?

(श्री रघुराजसिंह खड़े हुए)

Yes, you withdraw it.

**श्री रघुराजसिंह**—Yes, Sir. Leave may kindly be granted to withdraw my cut motion.

**श्री अध्यक्ष**—Is it the leave of the House to allow Shri Raghuraj Singh to withdraw his amendment on clause 3.

(स्वीकृत)

Leave is granted.

श्री रघुराजसिंह—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—Now the question is that clause 3 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 3 is added to the Bill.

(विराम)

Now Clause 4. The question is that Clause 4 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill.

(विराम)

The question is that Clause 1, Short-title and Preamble stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, Short-title and Preamble are added to the Bill.

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being, or for chosen as, members of the Rajasthan Legislative Assembly, be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

## राजस्थान भूमि संक्षेप बन्दोबस्त विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—Yes. Shri Sukhadia.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—I beg to move that the Bill to provide for the Summary Settlement of unsettled lands in Rajasthan, as reported to by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

# Page No.73



**श्री जसवन्त सिंह**—In this connection I would like to submit one thing. This is a very important question and some of our Members want to speak because it is going to affect most of the Members. Without hindering the proceedings in any way we will be very grateful if this is taken up tomorrow morning.

**श्री अध्यक्ष**—What I wanted to know is whether you wanted to say something on the principles of the Bill. If you agree to the principles of the Bill we can take it tomorrow or if we cannot make certain suggestions within one day we can take it day-after-tomorrow. In the meanwhile Members can have full considérations over this and so we can take Panchayat Bill tomorrow which has been before the House. So we may discuss over the principles of the Bill today.

**श्री जसवन्तसिंह**—So far as principles are concerned we have nothing to say. Regarding details we have some amendments.

**श्री अध्यक्ष**—So day after tomorrow.

Now the question is that the Bill to provide for the summary settlement of unsettled lands in Rajasthan as reported to by the Select Committee be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

(विराम)

As regards taking up the Bill for consideration clause by clause we will proceed day-after-tomorrow. That will be convenient.

## राजस्थान पंचायत विधेयक, १६५२

Now The Rajasthan Panchayat Bill, 1952. Do the Members of the House agree that we should continue it today clause-by-clause. There is still time—15 minutes more.

(कुछ ध्वनियें, "आज एजेण्डा नहीं है")

## जन-लेखा तथा प्राक्कलन समितियों के सदस्य

Well, I will request the Hon'ble Members to be prepared with whole of the Agenda henceforth I would now adjourn to meet tomorrow at 8.15 A.M. Yes, before we depart I want to give certain information to the House. I have to inform the Hon'ble Members that, as a result of the Elections held on 27-3-1953, the following Members have been declared elected to the Public Accounts Committee and the Estimates Committee respectively.

(विराम)

[ श्री अध्यक्ष ]

| Public Accounts Committee | Division No. |
|---|---|
| 1. Shri Bhim Singh .. .. .. .. | 17 |
| 2. Shri H. K. Vyas .. .. .. .. .. | 160 |
| 3. Shri Hajarilal Sharma .. .. .. .. | 59 |
| 4. Shri Jaswant Singh .. .. .. .. | 67 |
| 5. Shri Kapil Deo Agarwal .. .. .. .. | 71 |
| 6. Shri Keshri Singh .. .. .. .. | 75 |
| 7. Shri Man Singh .. .. .. .. .. | 97 |
| 8. Shri Ramjilal Yadav .. .. .. .. | 124 |
| 9. Shri Sajjan Singh .. .. .. .. | 132 |
| 10. Shri Shridass Goel .. .. .. .. | 142 |

| Estimates Committee | Division No. |
|---|---|
| 1. Shri Abni Kumar Mukerjee .. .. .. | 1 |
| 2. Shri Badri Prasad Gupta .. .. .. | 6 |
| 3. Shri Bishambher Nath Joshi .. .. .. | 21 |
| 4. Shri Bhairon Singh .. .. .. .. | 11 |
| 5. Shri Damodar Vyas .. .. .. .. | 33 |
| 6. Shri Gulabchand Kasliwal .. .. .. | 48 |
| 7. Shri H. K. Vyas.. .. .. .. .. | 160 |
| 8. Kr. Shri Jaswant Singh .. .. .. .. | 66 |
| 9. Shri Jawan Singh .. .. .. .. | 67 |
| 10. Shri Kan Singh .. .. .. .. .. | 69 |
| 11. Shri Mathuradass Mathur .. .. .. .. | 99 |
| 12. Shri Motilal Chaudhary .. .. .. .. | 106 |
| 13. Shri Sangram Singh .. .. .. .. | 135 |
| 14. Shri Tej Mal Bapna .. .. .. .. | 149 |
| 15. Shri Ved Pal Tyagi .. .. .. .. | 159 |

We now adjourn till tomorrow at 8.15 A.M.

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर १५ मिनिट पर दिनांक १-४-५३ के ८.१५ प्रात: तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–३१ मार्च, १९५३ ।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

---- ---